



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं.- 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances
& Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex, Lodhi
Road, New Delhi – 110003.

(आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर दिनांक 24.09.2025 को अपलोड किया जाए)

विज्ञप्ति

दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही {सहायक वायरलेस ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ)/टेली प्रिंटर ऑपरेटर(टीपीओ)
परीक्षा, 2025}

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	24.09.2025 से 15.10.2025 तक
ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	15.10.2025 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	16.10.2025(23:00 बजे)
'ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार हेतु विंडो' की तिथि तथा सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान	23.10.2025 से 25.10.2025 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	दिसंबर, 2025/ जनवरी, 2026 (संभावित)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर कॉल करने हेतु टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर	180 030 930 63

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास कर रही है जो लैंगिक संतुलन को प्रतिबिंबित करता हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है"

एफ. सं. मुख्यालय-सी-3022/1/2025-सी-3 : दिल्ली पुलिस की भर्ती योजना/स्थायी आदेश संख्या एचआरडी/06/2022 और दिल्ली पुलिस तथा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही {सहायक वायरलेस ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ)/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (टीपीओ)} की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। देश के सभी भागों से अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश के अनुसार भर्ती की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- 1.1 दिल्ली पुलिस द्वारा जाँच के बाद एसएससी द्वारा विज्ञप्ति अपनी वेबसाइट <https://ssc.gov.in> पर अधिसूचित की जाएगी। इस संबंध में एक सूचना/लिंक दिल्ली पुलिस की वेबसाइट <https://delhipolice.gov.in> पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- 1.2 प्रधान सिपाही {सहायक वायरलेस ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ)/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (टीपीओ)} की भर्ती के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रिक्तियों की सूचना दिल्ली पुलिस द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को दी जाती है।
- 1.3 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएँगे। कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर 'कंप्यूटर आधारित परीक्षा' (सीबीई) मोड में परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।
- 1.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र/प्रवेश पत्र कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएँगे, तथा प्रवेश प्रमाण पत्र के बारे में 'सूचना' दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
- 1.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा।
- 1.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा की योग्यता की सीमा के भीतर रिक्तियों की संख्या के **बीस (20)** गुना के बराबर आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण (पीई और एमटी) में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- 1.7 दिल्ली पुलिस द्वारा पीई और एमटी परीक्षा केवल दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। दिल्ली पुलिस, एसएससी को पीई और एमटी परीक्षा का कार्यक्रम और केंद्र उपलब्ध कराएगी। इसके बाद, एसएससी, पीई और एमटी में शामिल होने के लिए चुने गए सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान करेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के संबंध में एक सूचना दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- 1.8 पीई एवं एमटी के आयोजन के बाद, दिल्ली पुलिस प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणाम को एसएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए 'वेब-टूल' पर अपडेट करेगी, ताकि दिल्ली पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक कौशल/ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया जा सके।
- 1.9 सभी पदों के लिए कौशल परीक्षा/ट्रेड परीक्षाएँ दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित की जाएँगी। व्यवहार्यता के आधार पर, कौशल परीक्षा/ट्रेड परीक्षा का परिणाम या तो वेब-टूल पर अपलोड किया जाएगा या दिल्ली पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में एसएससी को उपलब्ध कराया जाएगा।

- 1.10 अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह, उनका सत्यापन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी।
- 1.11 पीई और एमटी तथा आवश्यक कौशल/ट्रेड टेस्ट में योग्य घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची पूरी तरह पद के लिए निर्धारित टेस्ट/परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अलावा उनकी योग्यता के अनुसार श्रेणीवार 15% अभ्यर्थियों (श्रेणीवार) की एक "रिजर्व पैनल/अतिरिक्त सूची" भी तैयार की जाएगी और इसे दिल्ली पुलिस को एक सीलबंद लिफाफे में प्रदान किया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। 'रिजर्व पैनल' का संचालन और रखरखाव दिल्ली पुलिस द्वारा अपने स्थायी आदेश संख्या एचआरडी/06/2022 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आयोग 'रिजर्व पैनल/अतिरिक्त सूची' के रखरखाव के संबंध में किसी भी शिकायत/आवेदन पर विचार नहीं करेगा।
- 1.12 परीक्षा की सूचना (परीक्षा योजना, शारीरिक मापदंड, चिकित्सा मापदंड, आयु, भर्ती नियमों से संबंधित आरक्षण आदि से संबंधित नीतिगत मुद्दों को छोड़कर), ऑनलाइन आवेदन पत्र, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन और मेरिट सूची की तैयारी से संबंधित आरटीआई/लोक शिकायतें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निपटाई जाएंगी, जबकि भर्ती नियमों, स्थायी आदेशों और दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किसी भी टेस्ट/परीक्षा (जैसे पीई और एमटी, मेडिकल परीक्षा, कौशल परीक्षण/ट्रेड टेस्ट आदि) और 'रिजर्व पैनल', रिक्तियों आदि के संचालन से संबंधित अन्य आरटीआई/लोक शिकायतें दिल्ली पुलिस द्वारा निपटाई जाएंगी।
- 1.13 ऑनलाइन आवेदन पत्र, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन, शारीरिक शिक्षा एवं पीई एवं एमटी या एसएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग और अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के अंतिम परिणाम तैयार करने से संबंधित दिल्ली स्थित उम्मीदवारों द्वारा दायर अदालती मामलों को दिल्ली पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों/दिल्ली से बाहर के ऐसे अदालती मामलों को एसएससी द्वारा निपटाया जाएगा।
- 1.14 परीक्षा की योजना, रिक्तियां, रिक्तियों में आरक्षण, शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण (पीई एवं एमटी) का संचालन, अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनका सत्यापन, या दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षण, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई), समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई), 'रिजर्व पैनल' का रखरखाव जैसे अन्य सभी मुद्दों से संबंधित अदालती मामले/आरटीआई/लोक शिकायतें दिल्ली पुलिस द्वारा निपटाई जाएंगी।
- 1.15 गलत सत्यापित डेटा या पीई और एमटी/मेडिकल फिटनेस स्थिति में परिवर्तन के कारण मेरिट/चयन सूची/आरक्षित सूची में परिवर्तन (समावेशन/बहिष्करण) के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन से दिल्ली पुलिस द्वारा निपटाया जाएगा।
- 1.16 मेरिट/चयन सूची/आरक्षित सूची में किसी अभ्यर्थी के गलत समावेशन/बहिष्करण के कारण परिणाम में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, एसएससी द्वारा संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा।

- 1.17 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संचालन के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिक्रिया आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने की प्रक्रिया एसएससी द्वारा संचालित की जाएगी।
- 1.18 दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित पीई एवं एमटी या कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर (फॉर्मेटिंग) टेस्ट के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिक्रिया आदि में लिप्त पाए गए अभ्यर्थियों के मामलों को दिल्ली पुलिस द्वारा निपटाया जाएगा।

2. वेतन मैट्रिक्स : वेतन स्तर-4 (रु. 25500-81100) (समूह 'ग')

3. रिक्तियां: संभावित रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है: -

प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ/टीपीओ)-पुरुष :

क्र. सं.	श्रेणी	अनारक्षित	ई डब्ल्यू एस	ओ बी सी	एससी	एसटी	कुल
1	खुली	126	29	76	33	21	285
2	भूतपूर्व-सैनिक	16	04	09	11	09	49
3	विभागीय	16	04	09	04	03	36
	कुल	158	37	94	48	33	370

प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ/टीपीओ)-महिला :

क्र. सं.	श्रेणी	अनारक्षित	ई डब्ल्यू एस	ओ बी सी	एससी	एसटी	कुल
1	खुली	70	16	42	21	14	163
2	विभागीय	08	02	05	02	02	19
	कुल	78	18	47	23	16	182

नोट: रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इसमें परिवर्तन हो सकता है। आयोग रिपोर्ट के अनुसार रिक्तियों को प्रकाशित करता है और कुल रिक्तियों, बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत रिक्तियों के पृथक्करण आदि के निर्धारण में इसकी कोई भूमिका नहीं है।

- 3.1 नियमों में दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
- 3.2 दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश के अनुसार, भारत सरकार के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं।
- 3.3 आयोग दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा। दिल्ली पुलिस में रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रखरखाव और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- 3.4 'विभागीय' रिक्तियां दिल्ली पुलिस के स्थायी कांस्टेबलों से भरी जाएंगी।

4. राष्ट्रीयता/नागरिकता : अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

5. आयु सीमा : 01.07.2025 को 18 से 27 वर्ष (अर्थात् 02-07-1998 से पहले और 01-07-2007 के बाद पैदा न हुए अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं)। ऊपरी आयु सीमा में केवल निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी: -

- 5.1 यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है तो अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक।
- 5.2 यदि अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो अधिकतम 3 (तीन) वर्ष तक। यह छूट केंद्रीय सूची और दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूची में अधिसूचित जातियों के लिए मान्य है।
- 5.3 विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं तथा पुनर्विवाह न करने वाली महिलाओं के मामले में अनारक्षित वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक स्वीकार्य है।

5.4 रिक्रियों के विज्ञापन की तिथि से पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट पुरुष/महिला खिलाड़ियों के लिए अधिकतम 05 (पांच) वर्ष तक। खेल की वह विधा जिसके लिए छूट उपलब्ध है, अनुबंध- 'क' में उल्लिखित है। खेल प्रमाणपत्र अनुलग्नक- 'ख' और 'ग' में संलग्न प्रोफार्मा में जारी किया जाएगा, जिसमें राज्य/राष्ट्रीय खेल महासंघ के सचिव द्वारा विधिवत सत्यापित अभ्यर्थी की तस्वीर होगी। यदि कोई अभ्यर्थी एससी/एसटी वर्ग से संबंधित है और उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है, तो वह निर्धारित छूट के अलावा ऊपरी आयु सीमा में 05 (पांच) वर्ष की छूट के लिए पात्र है। वास्तव में, वह अधिकतम 10 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए अर्ह है।

5.5 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में अनारक्षित श्रेणी के लिए 40 (चालीस) वर्ष तक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 (तैंतालीस) वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45 (पैंतालीस) वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। "विभागीय अभ्यर्थी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो और जो अन्यथा सभी शैक्षणिक और अन्य शारीरिक योग्यताएँ पूरी करता हो।

5.6 भूतपूर्व सैनिकों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। उन्हें सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि को अपनी वास्तविक आयु से घटाने की अनुमति होगी और इस प्रकार प्राप्त होने वाली आयु, निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट 1: ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार ही लाभ प्राप्त होगा। यह छूट उन अभ्यर्थियों को भी मिलेगी जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ओबीसी प्रमाणपत्र जारी किया गया है। यह प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। किसी अन्य प्रमाणपत्र को पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट 2: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता के अनुसार इस आरक्षण के हकदार हैं। पीई और एमटी के समय उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी होने चाहिए, जैसा कि अनुबंध- 'घ' और 'ड.' में संलग्न प्रारूप में दिया गया है।

नोट 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता के अनुसार इस आरक्षण के हकदार हैं। पीई और एमटी के समय उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी होने चाहिए, जैसा कि अनुबंध- 'च' में संलग्न प्रारूप में दिया गया है।

नोट 4: ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्मतिथि के अनुसार होनी चाहिए तथा पात्रता निर्धारित करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसे स्वीकार किया जाएगा तथा बाद में उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.7 उपरोक्त पैरा 5.1 से 5.6 के आधार पर विभिन्न वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नानुसार है:-

कोड संख्या	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से परे आयु में स्वीकार्य छूट/ ऊपरी आयु सीमा
01	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
02	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के पश्चात 03 वर्ष।
08	ऐसे विशिष्ट खिलाड़ी/खिलाड़ी जिन्होंने रिक्रियों के विज्ञापन की तिथि से पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया हो (एससी/एसटी को छोड़कर)।	05 वर्ष
9	ऐसे विशिष्ट खिलाड़ी/खिलाड़ी जिन्होंने रिक्रियों के विज्ञापन की तिथि से पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया हो (एससी/एसटी)।	10 वर्ष
10	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस) जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	40 वर्ष की आयु तक

कोड संख्या	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से घटे आयु में स्वीकार्य छूट/ ऊपरी आयु सीमा
11	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (ओबीसी) जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	43 वर्ष की आयु तक
12	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (एससी/एसटी) जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	45 वर्ष की आयु तक
13	विधवा/तलाकशुदा महिलाएं और वे महिलाएं जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हो चुकी हैं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस)	35 वर्ष की आयु तक
14	विधवा/तलाकशुदा महिलाएं और वे महिलाएं जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हो गई हैं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (ओबीसी)	38 वर्ष की आयु तक
15	विधवा/तलाकशुदा महिलाएं और वे महिलाएं जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हो गई हैं और जिनका पुनर्विवाह नहीं हुआ है (एससी/एसटी)	40 वर्ष की आयु तक

6. दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों/मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों के लिए छूट:

6.1 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्र/पुत्रियों के मामले में, जो शारीरिक मानक की सामान्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, निम्नलिखित छूट स्वीकार्य हैं: -

1. ऊंचाई (पुरुष/महिला) : 5 सेंटीमीटर तक छूट।
2. छाती (केवल पुरुष) : 5 सेंटीमीटर तक छूट।

6.2 यह छूट केवल उन दिल्ली पुलिस कर्मियों/मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्रों/पुत्रियों को दी जाएगी, जिन्हें दंड के रूप में बर्खास्तगी/हटाने/सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड नहीं दिया गया है।

नोट 1: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पहाड़ी क्षेत्र श्रेणी से संबंधित दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों को दोहरी छूट नहीं मिलेगी। वे या तो अपनी श्रेणी में या दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों के रूप में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

नोट 2: इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनुबंध-'ज' में दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनंतिम रूप से परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, जो संबंधित जिले/यूनिट (पुलिस मुख्यालय कर्मचारियों के संबंध में डीसीपी/एडिशनल डीसीपी/एसीपी/मुख्यालय (IV) या एसीपी/सीआर/पीएचक्यू) द्वारा प्रासंगिक सेवा अभिलेखों के सत्यापन के बाद जारी किया गया हो, जहाँ पुलिसकर्मियों ने अंतिम बार सेवा की थी। यह प्रमाण पत्र शारीरिक माप परीक्षण के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. **भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा :** भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/5/85- स्था.(एससीटी) दिनांक 14-4-1987 में भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है:-

- i) "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो और
- ii) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हों; या
- iii) जिसकी डिस्चार्ज बुक पर भूतपूर्व सैनिकों का पृष्ठांकन है; या
- iv) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो; या
- v) जो स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; या
- vi) जो अपनी स्वयं की प्रार्थना के अलावा या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से सेवा की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और उसे ग्रेच्युटी दी गई है; और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात: -

- क) निरंतर सेवा के लिए पेंशन धारक,
- ख) सैन्य सेवा के कारण विकलांगता वाले व्यक्ति; और
- ग) वीरता पुरस्कार विजेता।”

7.1. प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को 15-11-86 से भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा।

7.2. केंद्रीय राजस्व से वेतन पाने वाले भूतपूर्व सैनिक, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (एचसी) के पद पर पुनः भर्ती के पात्र हैं, यदि उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में पिछली सेवा अच्छी या उच्चतर श्रेणी/ग्रेडिंग की दर्शाई गई हो, बशर्ते कि वे खुली प्रतियोगिता से सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (एचसी) के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों को पूरा करते हों और पुलिस आयुक्त द्वारा समय-समय पर आवश्यक स्थायी आदेश जारी करके निर्धारित शारीरिक/दक्षता परीक्षणों में उत्तीर्ण हों। वे भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त हों।

नोट 1: वे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ उठाकर नियमित आधार पर केंद्र सरकार (राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) के अंतर्गत समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर पहले ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट या भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। हालाँकि, वे केवल आयु सीमा में छूट के पात्र हैं।

नोट 2: सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सेवा" की अवधि को भी आयु में छूट के प्रयोजन के लिए सशस्त्र बलों में की गई सेवा माना जाएगा।

नोट 3: आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को भूतपूर्व सैनिक माना जाने के लिए, उसे पद/सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय पहले से ही भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लेना चाहिए और/या वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपनी अर्जित पात्रता को सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र की समाप्ति तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों में नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेगा।

स्पष्टीकरण

7.3. संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत ऐसे व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, उन्हें नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और वे भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

7.3.1. ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी सेवामुक्ति की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होगी। सेवामुक्ति की तिथि/सशस्त्र बलों में निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए। सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति की तिथि का उल्लेख न करने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पर विचार नहीं किया जाएगा और उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र बिना कोई और कारण बताए अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

8. प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

8.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें उस समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जब दिल्ली पुलिस द्वारा पीई और एमटी, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर संचालन में दक्षता के समय ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। अन्यथा, एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता /आवेदन पर अनारक्षित (यूआर)/प्रासंगिक श्रेणी के अंतर्गत विचार किया जाएगा। प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है, जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्थापना (आरक्षण) के अनुसार अनुबंध-च के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर जारी किया गया हो। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी। **"निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि उम्मीदवार उस तिथि तक संबंधित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।**

8.3 विभिन्न आरक्षित वर्गों के प्रमाणपत्रों की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि होगी। "निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक संबंधित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

8.4 अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है और वह निर्णायक तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता है।

8.5 अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि उपरोक्त के संबंध में, उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि संबंधित दस्तावेज की सत्यता दिल्ली पुलिस द्वारा सत्यापित नहीं हो जाती। अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि यदि वे धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व-सैनिक श्रेणी का दर्जा प्राप्त करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।

9 आवश्यक अर्हताएं:

(क) शैक्षणिक अर्हता (ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक)

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10+2 (वरिष्ठ माध्यमिक) उत्तीर्ण।

या

मैकेनिक-कम-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के व्यापार में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (एनटीसी)।

(ii) व्यावसायिक उपलब्धियाँ:

कंप्यूटर संचालन में दक्षता (अर्हता प्रकृति की)।

- अंग्रेजी शब्द संसाधन गति का परीक्षण - 15 मिनट में 1000 की डिप्रेसन।

(अंग्रेजी शब्द संसाधन की परीक्षा कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार केवल 'अंग्रेजी' भाषा में आयोजित की जाएगी)।

- बुनियादी कंप्यूटर कार्यों का परीक्षण: -

पीसी खोलना/बंद करना, मुद्रण करना, एमएस ऑफिस का उपयोग, टाइप किए गए पाठ को सेव करना और उसमें संशोधन करना, पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग आदि।

9.1 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10-06-2015 की अधिसूचना के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों और संसद के अधिनियम द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्रदान की गई सभी डिग्रियाँ/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रोजगार के लिए स्वतः ही मान्यता प्राप्त हो जाती हैं, बशर्ते कि उन्हें दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो। तदनुसार, जब तक ऐसी डिग्रियाँ उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता प्राप्त न हों जब अभ्यर्थियों ने योग्यता प्राप्त की थी, उन्हें शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.2 यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के अनुसार, 23-06-2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित के भाग- III (8) (v) के अंतर्गत, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि कार्यक्रमों को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत कराने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, एमए संख्या 3092/2018 में डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 382/2018, जिसका शीर्षक मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेश के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को इन्तू द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग में बी.टेक डिग्री/डिप्लोमा, जहाँ भी लागू हो, मान्य मानी जाएगी।

9.3 दस्तावेज सत्यापन के लिए योग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में इंटरमीडिएट/ उच्चतर माध्यमिक/ 10 + 2/वरिष्ठ माध्यमिक की मूल परीक्षा पूरी करने के लिए अंक सूची, अनंतिम प्रमाण पत्र आदि जैसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर ऐसे अभ्यर्थियों की अथ्यर्थिता दिल्ली पुलिस द्वारा रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में सक्षम हैं कि योग्यता परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि पर या उससे पहले घोषित किया गया था और उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, उन्हें भी शैक्षिक योग्यता पूरी करने वाला माना जाएगा। यह दोहराया जाता है कि आवश्यक शैक्षणिक अर्हता का परिणाम बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक घोषित किया जाना चाहिए। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्णायक कट-ऑफ तिथि तक परिणाम का प्रोसेसिंग मात्र शैक्षणिक अर्हता की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

9.4 पद के लिए शैक्षणिक अर्हता और अन्य शारीरिक मानक वही होंगे जो ऐसे पद पर सीधी भर्ती के नियमों में निर्धारित हैं। दिल्ली पुलिस [नियुक्ति एवं भर्ती] नियम, 1980 में निर्धारित मामलों और तरीके को छोड़कर, स्थायी आदेश में प्रदान की गई छूट के अलावा, किसी भी योग्यता या मानक में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

10 एनसीसी प्रमाणपत्र धारक को प्रोत्साहन :

10.1 'एनसीसी प्रमाणपत्र' धारकों को निम्नलिखित पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा:

प्रमाणपत्र श्रेणी	प्रोत्साहन/ बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

नोट : यह लाभ केवल दस्तावेज सत्यापन (अर्थात् पीई और एमटी) के समय उनके दावों के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र (सत्यापन के अधीन) प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी। यह लाभ पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

10.2 अतिरिक्त अंकों का वेटेज: राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाण पत्र रखने वाले अथ्यर्थियों को अतिरिक्त अंकों का वेटेज दिया जाएगा जो निम्नलिखित पैमाने पर होगा:

-

डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्राप्त कक्षा	दिए जाने वाले अतिरिक्त अंक
विशेष योग्यता	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
प्रथम श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 4%
द्वितीय श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
उत्तीर्ण श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

नोट: यह लाभ केवल दस्तावेज सत्यापन (अर्थात् पीई और एमटी) के समय अपने दावों के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र (सत्यापन के अधीन) प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी।

11 आवेदन कैसे करें:

11.1 आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में एसएससी मुख्यालय की वेबसाइट <https://ssc.gov.in> पर या mySSC मोबाइल एप्लिकेशन (जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। इस पर विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के अनुबंध-I और अनुबंध-II (एकमुश्त पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र के नमूना प्रपत्र क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न हैं) और साथ ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल ऐप से संबंधित दिनांक 02.06.2025 की सूचना देखें।

- 11.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय 15.10.2025 (23:00 बजे) है।
- 11.3 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर दें तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अधिक लोड के कारण एसएससी वेबसाइट पर लॉगइन करने में कनेक्शन कटने/असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।
- 11.4 वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा विज्ञप्ति के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने आयोग की नई वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर अपना वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) जनरेट नहीं किया है, उन्हें ऐसा करना होगा क्योंकि आयोग की पुरानी वेबसाइट (अर्थात <https://ssc.nic.in>) पर जनरेट किया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। ओटीआर के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट पर ओटीआर जनरेट हो जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत निर्देश इस परीक्षा सूचना के अनुबंध-I और I के में दिए गए हैं।
- 11.5 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित **आधार नीति** के अनुसार, अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय **आधार-आधारित प्रमाणीकरण** का विकल्प चुनें। **आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई तस्वीर और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।** ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल पर प्रवेश के लिए हाल ही की रंगीन तस्वीरें, मूल वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 11.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के पास पहले से मौजूद अपनी तस्वीर होना **ज़रूरी नहीं है।** आवेदन मॉड्यूल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी की वास्तविक समय की तस्वीर खींची जा सके। अभ्यर्थी को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा/बैठना होगा और तस्वीर खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा: -
- क. अच्छी रोशनी और सादे पृष्ठभूमि वाला स्थान ढूँढ़ें।
 - ख. फोटो खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर हो।
 - ग. अपने आप को कैमरे के लेंस के ठीक सामने रखें और सीधे सामने देखें।
 - घ. सुनिश्चित करें कि अपना चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के पूरी तरह से अंदर हो और न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर। यह क्षेत्र को पूरी तरह से ढकना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए।
 - ड. फोटो खींचते समय अभ्यर्थियों को टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए।
- 11.7 परीक्षा में बैठते समय अभ्यर्थी का रूप-रंग ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होना चाहिए। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर **साफ़ हो, बिना टोपी या चश्मे के हो**

और सामने से पूरा दृश्य दिखाई दे। निर्देशों के अनुरूप न होने वाली तस्वीरों वाले आवेदन पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीर नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीर खींची गई हो, तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे। हालाँकि, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे।

- 11.8 उम्मीदवारों को स्कैन किए गए हस्ताक्षर जेपीइजी फॉर्मेट (10 से 20 केबी) में अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर का आकार लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त तस्वीरों या धुंधले/छोटे हस्ताक्षरों वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे। हालाँकि, उपरोक्त आधार पर अस्वीकृति उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने आवेदन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया है।
- 11.9 आयोग उपरोक्त कारणों से या आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 11.10 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वावलोकन विकल्प देखना होगा कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में सही जानकारी/विवरण दिया है। उन्हें यह भी जांचना होगा कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जमा किए गए आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।
- 11.11 अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन के दौरान या जब भी आवश्यक हो, उपयोगकर्ता विभाग/आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों के संदर्भ में किया जाएगा। यदि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत/असत्य है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल अस्वीकार कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी दी है।

12 आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका:

- 12.1 देय शुल्क: 100/- रुपये (केवल एक सौ रुपये)।
- 12.2 महिला अभ्यर्थियों तथा आरक्षण के लिए पात्र अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- 12.3 शुल्क का भुगतान केवल भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टर, मेस्ट्रो कार्ड या रुपये डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
- 12.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 16.10.2025 (23:00 बजे) तक कर सकते हैं।

- 12.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क एसएससी में जमा हो गया है। यदि एसएससी को शुल्क प्राप्त नहीं होता है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दिखाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा, अभ्यर्थी अपनी लॉगिन स्क्रीन पर दिए गए 'भुगतान स्थिति' लिंक पर शुल्क भुगतान की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। ऐसे आवेदन जो लागू शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरे रह जाते हैं, उन्हें तुरंत ही अस्वीकार कर दिया जाएगा और परीक्षा सूचना में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों और शुल्क भुगतान पर विचार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 12.6 एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन में समायोजित किया जाएगा।
- 12.7 भुगतान लेनदेन से संबंधित कोई भी मुद्दा/चिंता फीडबैक तंत्र के माध्यम से अभ्यर्थी के लॉगिन पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है।

13 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सुधार हेतु विंडो [दिनांक 23.10.2025 से 25.10.2025 (23:00 बजे)]:

- 13.1 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र मापदंडों को सही/संशोधित करने के लिए **02 दिनों की** अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुधार/संशोधन/परिवर्तन करने के बाद अपना आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- 13.2 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सुधार हेतु विंडो के दौरान दो बार सुधार/संशोधन करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः जमा करने की अनुमति होगी अर्थात्, यदि उसने अद्यतन आवेदन पत्र में भी कोई गलती की है, तो उसे आवश्यक सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार और संशोधित/संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः जमा करने की अनुमति होगी। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई और सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 13.3 केवल ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार/संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र अपेक्षित शुल्क के भुगतान सहित आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त कर लिए गए हों।
- 13.4 केवल नवीनतम संशोधित/सुधारित आवेदन को ही वैध माना जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत सभी पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्रों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
- 13.5 आयोग पहली बार संशोधित/संशोधित आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए ₹200/- (मात्र दो सौ रुपये) का एक समान शुल्क लेगा, और उसके बाद दूसरी बार संशोधित/संशोधित

आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए ₹500/- (मात्र पाँच सौ रुपये) का शुल्क लेगा। निर्धारित सुधार शुल्क सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा, चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो।

- 13.6 सुधार शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो कार्ड या रुपये डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 13.7 एक बार भुगतान किया गया सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन में समायोजित किया जाएगा।
- 13.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। 'ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार विंडो' की समाप्ति के बाद, अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए डाक, ई-मेल, बाई-हैंड आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

14 परीक्षा केंद्र :

- 14.1 कर्मचारी चयन आयोग के नौ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित परीक्षा केन्द्रों (संभावित) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	एसएससी क्षेत्र और क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों का पता/वेबसाइट
1	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), गया (3203)।	मध्य क्षेत्र (सीआर) / बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (सीआर), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज – 211001. (http://www.ssc-cr.org)

2	श्री विजया पुरम (4802), धनबाद (4206), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (4601), बेहरामपुर गंजम (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), कल्याणी (4419), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), कोलकाता/हावड़ा (4410), सिलीगुड़ी (4415), बर्दवान (4422), दुर्गापुर (4426), सूरि (4416), ढेंकनाल (4611)।	पूर्वी क्षेत्र (ईआर) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (ईआर), कर्मचारी चयन आयोग, 8 ^{वा} तल, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)
3	बेलागवी (9002), बेंगलुरु (9001), हुबली (9011), कालाबुरागी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोझिकोड (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), त्रिशूर (9212), कन्नूर (9202), कावारत्ती (9401)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (केकेआर) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (केकेआर), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, “ई” विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014) सागर (6015), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग भिलाई (6205)	मध्य प्रदेश (एमपीआर) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (एमपीआर), कर्मचारी चयन आयोग, 5वा तल, निवेश भवन, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर छत्तीसगढ़-492004.

			(www.sscmpr.org)
5	ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112), इंफाल (5501), चुराचांदपुर (5502), शिलांग (5401), आइजोल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)।	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक (एनईआर), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला -बसिष्ठ रोड, पी.ओ. असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6	दिल्ली एनसीआर (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), सीकर (2411), उदयपुर (2409), देहरादून (2002), हलद्वानी (2003), रूड़की (2006)।	उत्तरी क्षेत्र (एनआर)/ दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (एनआर), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 (www.sscnr.nic.in)
7	चंडीगढ़ (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), लेह (1005), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) (1007), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403), लुधियाना (1405)।	उत्तर पश्चिमी (एनडब्ल्यूआर) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (एनडब्ल्यूआर), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, केंद्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)

8	गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कुरनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), एलुरु (8016), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), वेल्लोर (8208), हैदराबाद / सिकंदराबाद (8601), वारंगल (8603), ओंगोल (8014), सिद्दीपेट (8605), थूथुकुडी (8207), करूर (8210)।	दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) / आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (एसआर), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल 'ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
9	पणजी (7801), अहमदाबाद/ गांधीनगर (7001), आनंद (7011), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), छत्रपति संभाजी नगर (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)।	पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर)/ दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (डब्ल्यूआर), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल 'दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400020 (www.sscwr.net)

14.2 किसी अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए, प्राथमिकता क्रम में **तीन केन्द्रों (देश में कहीं भी)** को वरीयता देने का विकल्प है। बाद में, किसी भी परिस्थिति में केंद्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उन्हें सही ढंग से दर्शाना चाहिए।

14.3 आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र में समायोजित करने का प्रयास करेगा। हालाँकि, आयोग ऊपर पैरा 14.1 में दी गई केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र जोड़ने या उपरोक्त सूची में से किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग किसी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।

15 परीक्षा योजना/भर्ती का तरीका : चयन प्रक्रिया में दिए गए क्रम में निम्नलिखित अनिवार्य परीक्षण शामिल होंगे:

-

क्रम सं.	परीक्षण/परीक्षाएँ	अधिकतम अंक/ अर्हक
(i)	कंप्यूटर आधारित परीक्षा: एसएससी द्वारा	100 अंक
(ii)	शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण (पीई और एमटी): दिल्ली पुलिस द्वारा	अर्हक
(iii)	ट्रेड टेस्ट: दिल्ली पुलिस द्वारा	अर्हक
(iv)	- दिल्ली पुलिस द्वारा अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग की परीक्षा गति - 15 मिनट में 1000 की डिप्रेसन। (अंग्रेजी शब्द संसाधन की परीक्षा कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार केवल 'अंग्रेजी' भाषा में आयोजित की जाएगी) - बुनियादी कंप्यूटर कार्यों का परीक्षण: - पीसी खोलना/बंद करना, मुद्रण करना, एमएस ऑफिस का उपयोग, टाइप किए गए पाठ को सेव करना और उसमें संशोधन करना, पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग आदि।	अर्हक

- 15.1 भूतपूर्व सैनिक सहित, सभी अभ्यर्थियों (पुरुष और महिला) को विभिन्न केंद्रों पर डेढ़ घंटे (90 मिनट) की अवधि की कंप्यूटर आधारित परीक्षा से गुजरना होगा।
- 15.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन होगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें।
- 15.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्नपत्र केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित किया जाएगा।
- 15.4 **कंप्यूटर आधारित परीक्षा:** कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा जिसमें 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी: -

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि/अनुमत समय
भाग- क	सामान्य जागरूकता	20	20	90 मिनट
भाग-ख	सामान्य विज्ञान	25	25	
भाग- ग	अंक शास्त्र	25	25	
भाग-घ	तर्क	20	20	
भाग-ड.	कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, डब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउज़र आदि।	10	10	
कुल		100	100	

नोट: प्रश्न पत्र का स्तर/मानक 12^{वीं} स्तर का होगा।

- 15.5 सूचना में दर्शाया गया परीक्षा कार्यक्रम अस्थायी है। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी।

- 15.6 परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 15.7 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा **दिनांक 02-06-2025** के विज्ञप्ति के अनुसार प्रकाशित प्रक्रिया का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
- 15.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजियाँ, सीबीई के आयोजन के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएँगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों का अवलोकन कर सकते हैं और अभ्यावेदन यदि कोई हो, तो आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर **प्रति प्रश्न ₹50/-** का भुगतान करके ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो वापस नहीं होगा। किसी अन्य माध्यम, जैसे पत्र, आवेदन, ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले उत्तर कुंजियों से संबंधित अभ्यावेदनों की जाँच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 15.9 अंतिम उत्तर कुंजियों का उपयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम तैयार करने के लिए किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अंतिम उत्तर कुंजियाँ और अंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएँगे।
- 15.10 परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग परीक्षा-पश्चात व्यापक विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जाँच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें रोकना भी शामिल है।

16 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम :

(क) सामान्य जागरूकता: प्रश्न अभ्यर्थी की अपने आस-पास के वातावरण और समाज में उसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्रश्न समसामयिक घटनाओं और दैनिक अवलोकन एवं अनुभव से जुड़े ऐसे विषयों के वैज्ञानिक पहलू के बारे में उसके ज्ञान का भी परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विशेष विषय के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) सामान्य विज्ञान:-

भौतिकी: ऊष्मागतिकी, यांत्रिकी, न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, गति, दबाव, माप की इकाइयाँ, ध्वनि, ऊष्मा और तापमान, इलेक्ट्रॉनिक्स, चुंबकत्व, ओम का नियम, संख्या प्रणाली, फाइबर ऑप्टिक्स, संचार का तरीका आदि जैसे विषयों की मूल अवधारणाओं की समझ।

रसायन विज्ञान: रोजमर्रा की जिंदगी का रसायन विज्ञान, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन, महत्वपूर्ण उत्प्रेरक, प्रतिक्रियाएं, रसायनों के वाणिज्यिक अनुप्रयोग, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, परिभाषा आधारित प्रश्न, एसिड (सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड), परमाणु संख्या, तत्व और उनके प्रतीक और इलेक्ट्रो रसायन आदि।

(ग) **गणित:** संख्या प्रणाली, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि और छूट, समय, दूरी और कार्य, बीजगणित (समीकरण, करणी, सूचकांक, ग्राफ), ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, डेटा व्याख्या, अनुक्रम और श्रृंखला, क्रमचय और संयोजन और सरलीकरण।

(घ) **तर्क:** गैर-मौखिक तर्क (आंकड़े), सादृश्य, अल्फान्यूमेरिक श्रृंखला, अंक श्रृंखला, आलोचनात्मक सोच, कोडिंग और डी-कोडिंग, तार्किक तर्क, इनपुट-आउटपुट, रक्त संबंध, सिलोगिज्म, तालिका, दिशा / रैंकिंग परीक्षण, वेन आरेख, बैठने की व्यवस्था, कोडित असमानताएं और डेटा पर्याप्तता।

(ड.) **कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउज़र आदि**

इस प्रश्नपत्र में निम्नलिखित पर प्रश्न शामिल होंगे:

1. वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व (वर्ड प्रोसेसिंग मूल बातें, दस्तावेज़ खोलना और बंद करना, टेक्स्ट निर्माण, टेक्स्ट को फार्मेट करना और इसकी प्रस्तुति सुविधाएँ)।
2. एमएस एक्सेल (स्प्रेडशीट के तत्व, सेल, फ़ंक्शन और फ़ार्मुलों का संपादन)।
3. संचार (ई-मेल की मूल बातें, ईमेल भेजना/प्राप्त करना और इससे संबंधित कार्य)।
4. इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउज़र (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवाएँ, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेब साइट्स, ब्लॉग, वेब ब्राउज़िंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग) आदि।

17 पीई और एमटी में उपस्थित होने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा:

- 17.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम एसएससी द्वारा घोषित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मेरिट सीमा में आने वाले अभ्यर्थी, जो प्रत्येक श्रेणी, अर्थात् सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक (श्रेणीवार) में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुना के बराबर होंगे, उन्हें पीई और एमटी में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। यदि कटऑफ अंकों पर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो संबंधित श्रेणी के उस कटऑफ पर आने वाले सभी अभ्यर्थियों को पीई और एमटी के लिए बुलाया जाएगा।
- 17.2 उपरोक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य/ ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी, 35% अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, और 30% अंक प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। यदि अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो एसएससी प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल मिलाकर प्राप्त न्यूनतम अंकों को अलग-अलग कम कर सकता है।

18 शारीरिक क्षमता परीक्षण (अर्हक)

क) पुरुष अभ्यर्थी:

भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय अभ्यर्थियों सहित पुरुष उम्मीदवारों के लिए (आयु-वार):

आयु	दौड़-1600 मीटर	लंबी कूद	ऊँची कूद
30 वर्ष तक	07 मिनट	12½ फीट (12'6")	3½ फीट (3'6")
30 से 40 वर्ष से ऊपर	08 मिनट	11½ फीट (11'6")	3¼ फीट (3'3")
40 वर्ष से ऊपर	09 मिनट	10½ फीट (10'6")	3 फीट

नोट: दौड़ में उत्तीर्ण होने वाले प्रतिभागी लंबी कूद और फिर ऊँची कूद में भाग लेने के पात्र होंगे। लंबी कूद और ऊँची कूद में दिए जाने वाले तीन अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दौड़, लंबी कूद और ऊँची कूद में अयोग्यता के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

ख) महिला अभ्यर्थी :

विभागीय अभ्यर्थियों और विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से अलग महिला अभ्यर्थियों सहित महिला अभ्यर्थियों के लिए (आयु-वार):

आयु	दौड़-800 मीटर	लंबी कूद	ऊँची कूद
30 वर्ष तक	05 मिनट	9 फीट (9')	3 फीट (3')
30 से 40 वर्ष से ऊपर	06 मिनट	8 फीट (8')	2½ फीट (2'6")
40 वर्ष से ऊपर	07 मिनट	7 फीट (7')	2¼ फीट (2'3")

नोट 1: दौड़ में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी लंबी कूद और फिर ऊँची कूद में भाग लेने के पात्र होंगे। लंबी कूद और ऊँची कूद को दिए जाने वाले तीन अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण होना होगा। दौड़, लंबी कूद और ऊँची कूद में अयोग्यता के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

नोट 2: "महिला अभ्यर्थी, जो पीई और एमटी से पहले की अवधि के दौरान गर्भवती हैं, या बच्चे को जन्म दे चुकी हैं या जिनका गर्भपात हो चुका है, उन्हें शारीरिक क्षमता परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रसव अवधि समाप्त होने तक उन्हें अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तब तक ऐसे मामलों के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे जा सकते हैं और रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा।

नोट 2.1 ऐसी महिला अभ्यर्थियों की प्रसव-अवधि की समाप्ति के छह सप्ताह बाद शारीरिक क्षमता परीक्षण (पीईटी) के लिए पुनः परीक्षा ली जाएगी, बशर्ते कि उन्हें पंजीकृत चिकित्सक से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रसव-अवधि इस प्रकार होगी: -

- i) डिलीवरी की तिथि से 6 महीने।
- ii) गर्भपात की तिथि से 45 दिन।

नोट 2.2. यदि वह पीई और एमटी के दौरान उत्तीर्ण घोषित की जाती है, तो उसका परिणाम योग्यता के अनुसार घोषित किया जाएगा। उसे आरक्षित पद पर नियुक्त किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित सरकारी निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा।

19 शारीरिक माप : शारीरिक माप परीक्षण केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का लिया जाएगा जो क्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण होंगे। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप के मानक निम्नानुसार होंगे:

क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए: -

(क) ऊंचाई: 170 सेमी, 5 सेमी तक छूट : -

- (i) पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी, अर्थात् गढ़वाल, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू-कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षण के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी/डीएम/एसडीएम या तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र (**पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण पत्र**) प्रस्तुत करना होगा)। प्रमाण पत्र का प्रारूप **अनुलग्नक -'छ'** के रूप में संलग्न है।
- (ii) दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्र।

(ख) छाती : न्यूनतम 81 सेमी - 85 सेमी (न्यूनतम 4 सेमी फुलाव के साथ)। 5 सेमी की छूट निम्न के लिए : -

- (i) पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी, जिनके लिए उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ii) दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्र।

ख) महिला अभ्यर्थी:

(क) ऊँचाई: 157 सेमी, 5 सेमी की छूट : -

- (i) पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी अर्थात् गढ़वाल, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू-कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षण के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी/डीएम/एसडीएम या तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र (पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा)। प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक -'छ' के रूप में संलग्न है।
- (ii) दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ की पुत्रियां।

20 चिकित्सा मानक:

[क] अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उनमें कोई रोग, दोष या विकृति नहीं होनी चाहिए।

[ख] बिना चश्मे के बेहतर आँख 6/6। खराब आँख 6/36, चश्मे से ठीक की गई 6/9 या बिना चश्मे के 6/12 (दोनों आँखें)। अभ्यर्थी को वर्णधता (कलर ब्लाइंडनेस) नहीं होनी चाहिए।

21 शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण (पीई और एमटी)

- 21.1 केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण (पीई एवं एमटी) के लिए बुलाया जाएगा।
- 21.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पीई और एमटी का आयोजन 03 केंद्रों पर किया जाएगा, जिनके नाम हैं दिल्ली पुलिस अकादमी परिसर/वजीराबाद, दिल्ली पुलिस अकादमी परिसर-II/ झरोदा कलां और न्यू पुलिस लाइन्स, किंग्सवे कैंप, दिल्ली।
- 21.3 पीई और एमटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को पहले होल्डिंग एरिया में रिपोर्ट करना होगा। होल्डिंग एरिया के कर्मचारी नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर लगी तस्वीर की जाँच करेंगे। इसके बाद, अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर आवंटित किया जाएगा और होल्डिंग स्टाफ रेसिंग प्रतियोगिता के लिए बैच तैयार करेगा।
- 21.4 होल्डिंग एरिया में अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित/स्थापित करने के बाद, अभ्यर्थियों को एक चेस्ट नंबर आवंटित किया जाएगा और होल्डिंग स्टाफ रेसिंग इवेंट के लिए बैच तैयार करेगा।
- 21.5 दौड़ में अभ्यर्थियों पर आरएफआईडी टैग (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) का उपयोग किया जाएगा।
- 21.6 डिजिटल उपकरण के माध्यम से ऊंचाई और छाती की माप की जाएगी।
- 21.7 आयु, शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पहाड़ी क्षेत्रों, एनओसी/डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (पूर्व सैनिक के मामले में), खेल प्रमाणपत्र, दिल्ली पुलिस कर्मियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों) को छूट प्राप्त करने हेतु जारी किए गए आश्रित प्रमाणपत्र आदि से संबंधित सभी मूल दस्तावेज/प्रमाणपत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के जाँचे जाएंगे जो पीई और एमटी की सभी स्पर्धाओं (अर्थात दौड़, लंबी/ऊँची कूद और शारीरिक माप) में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होंगे। अभ्यर्थियों को पीई और एमटी के समय अपनी पात्रता की जाँच के लिए पीई और एमटी शीट के अनुसार सभी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होंगी।
- 21.8 यदि कोई अभ्यर्थी पीई और एमटी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकार कर दी जाएगी। हालाँकि, उसे 05 कार्यदिवसों के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद, योग्यता के आधार पर उसकी अभ्यर्थिता पर पुनर्विचार किया जाएगा।
- 21.9 पी.ई. एवं एम.टी. प्रक्रिया का परिणाम प्रत्येक अभ्यर्थी को उचित पावती के साथ प्रदान किया जाए, जिसमें योग्यता/अयोग्यता स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो। हालाँकि, अयोग्यता/अस्वीकृति के मामले में, इसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। "योग्यता पर्ची/अस्वीकृति पर्ची" की पावती की एक प्रति भी रिकॉर्ड में रखी जाए।

नोट: यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा से पहले पीई और एमटी में भाग ले चुका है और दौड़, ऊँची कूद या लंबी कूद जैसी किसी भी प्रतियोगिता में अयोग्य घोषित किया गया है, तो उसका परिणाम अंतिम माना जाएगा। यदि कोई अयोग्य

अभ्यर्थी अपनी पिछली भागीदारी या अयोग्यता को छिपाते हुए पुनः परीक्षा में शामिल होता है और बाद में उत्तीर्ण हो जाता है, तो शारीरिक क्षमता परीक्षण का मूल परिणाम मान्य होगा।

22 शारीरिक माप परीक्षण के लिए अपीलीय बोर्ड: प्रत्येक स्थान के लिए एक अपीलीय बोर्ड, जिसमें एक संयुक्त पुलिस आयुक्त/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और उपयुक्त रैंक के एक या अधिक अधिकारी शामिल होंगे, का गठन दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा किया जाएगा, जो शारीरिक माप (ऊंचाई और छाती) के विरुद्ध अभ्यर्थियों द्वारा दायर अपील पर विचार करेगा और उसी दिन पुनः माप करेगा।

23 ट्रेड टेस्ट (अर्हक)

- (i) शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण (पीई और एमटी) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर संचालन में दक्षता परीक्षा में बैठने हेतु योग्य अभ्यर्थियों के लिए ट्रेड टेस्ट अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट में उपस्थित नहीं होंगे या उसमें उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- (ii) ट्रेड टेस्ट (पाठन और डिक्टेशन) का उद्देश्य अभ्यर्थियों की संदेश भेजने और प्राप्त करने की क्षमता का आकलन करना है। यह परीक्षा पाठन और डिक्टेशन के रूप में ली जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिक्टेशन, अभ्यर्थियों को समूहों में दिया जाएगा, जिसमें एक समूह में उपयुक्त संख्या में अभ्यर्थी डिक्टेशन लेंगे। हिंदी या अंग्रेजी डिक्टेशन में 50% से अधिक गलतियाँ करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। रीडिंग टेस्ट में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए पाठ से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक अंश पढ़ना होगा, जिसकी वीडियोग्राफी की जाएगी।
- (iii) अपीलीय बोर्ड ट्रेड टेस्ट के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा दायर अपीलों, यदि कोई हो पर विचार करेगा।

24 कंप्यूटर संचालन में दक्षता की परीक्षा (अर्हक) : सभी अभ्यर्थी जो ट्रेड परीक्षा (पठन एवं श्रुतलेखन) उत्तीर्ण करेंगे, उन्हें कंप्यूटर संचालन में दक्षता (i) अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग गति की परीक्षा - 15 मिनट में 1000 कुंजी दबाना (ii) बुनियादी कंप्यूटर कार्यों की परीक्षा (पीसी खोलना/बंद करना, मुद्रण, एमएस ऑफिस का उपयोग, टाइप किए गए पाठ को सेव करना एवं संशोधित करना, पैराग्राफ सेटिंग एवं नंबरिंग आदि) की परीक्षा देनी होगी, जो कि अर्हक प्रकृति की होगी।

(i) अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड टेस्ट

अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड-1000 कुंजी डिप्रेशन की परीक्षा 15 मिनट में कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी और अंग्रेजी में दिए गए मुद्रित अनुच्छेद के अनुसार शब्दों/कुंजी डिप्रेशन की सही प्रविष्टि के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, जिसमें 200 शब्द होंगे, प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, जो इसे एमएस ऑफिस के वर्ड प्रारूप में कंप्यूटर में दर्ज करेगा।

मूल्यांकन की प्रक्रिया :-

अवधि

15 मिनट

- (i) कुल स्ट्रोक/5 शब्द
(ii) कुल शब्द/परीक्षण का समय 200 शब्द/15 मिनट

गलतियाँ,

प्रत्येक गलती के लिए 1 शब्द

- | | |
|------|---|
| i. | चूक (ओमीसन), |
| ii. | प्रतिस्थापन (सब्स्टीट्यूसन), |
| iii. | विराम चिह्नों का जोड़, |
| iv. | 'अक्षर' की गलत टाइपिंग अर्थात "छोटे अक्षर" के स्थान पर "बड़े अक्षर" और इसके विपरीत, |
| v. | एक शब्द में अंतराल और दो शब्दों के बीच अधिक अंतराल और पैराग्राफ न बनाना। |

नोट: जो अभ्यर्थी 25 या उससे अधिक गलतियाँ करेगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- (ii) **बुनियादी कंप्यूटर कार्यों का परीक्षण :** - (पीसी को खोलना/बंद करना, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस का उपयोग, टाइप किए गए पाठ में सेविंग और संशोधन, पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग आदि)।

निम्नलिखित फार्मेटिंग फीचर्स का परीक्षण किया जाएगा: -

एमएस-वर्ड

समय: 05 मिनट

(i)	अंडरलाइन	(vi)	पेज नंबरिंग
(ii)	विभिन्न फ्रॉन्ट प्रकार का उपयोग करना	(vii)	टेबल बनाना/सम्मिलित करना
(iii)	पैराग्राफ संख्याएँ सम्मिलित करना	(viii)	बुलेट/ नंबरिंग
(iv)	बोल्ड में टेक्स्ट चुनना	(ix)	चेंज केस
(v)	विभिन्न फ्रॉन्ट साइज का उपयोग करना	(x)	पैराग्राफ की सेटिंग

एमएस-पावरपॉइंट

समय: 05 मिनट

(i)	टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करना	(vi)	इन्सर्ट क्लिपआर्ट
(ii)	इन्सर्ट चार्ट	(vii)	स्लाइड नंबरिंग
(iii)	इन्सर्ट टेक्स्ट विथ वर्डआर्ट	(viii)	इन्सर्ट पिक्चर
(iv)	बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड	(ix)	बुलेट/नंबरिंग
(v)	स्लाइड का डिज़ाइन	(x)	अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट

एमएस-एक्सेल

समय: 05 मिनट

(i)	मर्ज सेल	(vi)	फॉन्ट साइज
(ii)	सेंटर ए टेक्स्ट	(vii)	फ्रॉन्ट कलर
(iii)	सेंटर एलाइन एज टेक्स्ट	(viii)	बोल्ड ए टेक्स्ट
(iv)	इन्सर्ट शेप्स	(ix)	अंडरलाइन ए टेक्स्ट
(v)	फ्रॉन्ट साइज	(x)	इटेलिक्स

प्रत्येक परीक्षा में, ऊपर सूचीबद्ध फॉर्मेटिंग की 10 विशेषताओं का परीक्षण किया जाएगा और फॉर्मेटिंग की प्रत्येक फीचर के लिए 1/2 अंक दिए जाएंगे। **फॉर्मेटिंग फीचर्स के मामले में, यदि अभ्यर्थी नमूने के अनुसार फॉर्मेटिंग करते हैं, तो प्रत्येक को 1/2 अंक दिए जाएंगे। अन्यथा, कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।** प्रत्येक परीक्षा के लिए फॉर्मेटिंग फीचर्स के लिए निर्धारित 05 अंकों में से, उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 3 अंक प्राप्त करने होंगे। एडिटिंग टूल्स का उपयोग करके त्रुटियों को सुधारने के लिए अभ्यर्थियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग से 05 मिनट का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को दिए गए हैंडआउट के अनुसार ही फॉर्मेट करना होगा और प्रिंटर से प्रिंट भी कराना होगा।

25 बराबरी के मामलों का समाधान : ऐसे मामले में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी का समाधान निम्नलिखित तरीकों को एक के बाद एक लागू करके किया जाएगा, जब तक कि बराबरी का समाधान न हो जाए: -

- i) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ii) यदि जन्मतिथि और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंक भी समान हैं, तो अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का वर्णमाला क्रम के द्वारा मामले का निर्णय किया जाएगा।

26 अंतिम परिणाम की घोषणा:

26.1 कंप्यूटर संचालन दक्षता परीक्षा में अर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों (विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अनुसार) (श्रेणीवार) की सूची, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (100 अंक) की योग्यता और प्रोत्साहन/बोनस अंक/वेटेज (यदि कोई हो) के आधार पर तैयार और घोषित की जाएगी। अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अतिरिक्त, उनकी योग्यता/श्रेणीवार 15% अभ्यर्थियों का एक "रिजर्व पैनल" भी तैयार किया जाएगा।

26.2 एससी, एसटी, ओबीसी के वे अभ्यर्थी, जो बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के आधार पर अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ चुने गए हैं, उन्हें रिक्तियों के आरक्षित हिस्से में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थियों को समग्र मेरिट सूची में उनके स्थान के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र एससी, एसटी, ओबीसी अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।

26.3 ईडब्ल्यूएस से संबंधित कोई भी व्यक्ति अनारक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ईडब्ल्यूएस से संबंधित ऐसे व्यक्ति जिनका चयन योग्यता के आधार पर हुआ है, न कि आरक्षण के आधार पर, उन्हें आरक्षण के लिए निर्धारित कोटे में नहीं गिना जाएगा।

- 26.4 अभ्यर्थियों का चयन उनके चरित्र, पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन और पद के लिए निर्धारित मेडिकल फिटनेस के अधीन अनंतिम रूप से किया जाएगा। सत्यापन प्रपत्र में किसी भी प्रकार के तथ्य छिपाने/गलत जानकारी देने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। यदि कार्यभार ग्रहण करने के बाद सत्यापन प्रपत्र में किसी भी प्रकार के तथ्य छिपाने/गलत जानकारी देने का पता चलता है, तो एस.ओ. संख्या एचआरडी/12/2025 के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसे राज्य के खजाने से प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि भी वापस करनी होगी। उसे दिल्ली पुलिस में सेवा देने से भी वंचित कर दिया जाएगा। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- 26.5 अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अतिरिक्त उनकी योग्यता के अनुसार श्रेणीवार तैयार किए गए 15% अभ्यर्थियों (श्रेणीवार) का "रिजर्व पैनल/अतिरिक्त सूची" दिल्ली पुलिस को सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। 'रिजर्व पैनल' का संचालन और रखरखाव दिल्ली पुलिस द्वारा अपने स्थायी आदेश संख्या एचआरडी/06/2022 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आयोग 'रिजर्व पैनल/अतिरिक्त सूची' के रखरखाव के संबंध में किसी भी शिकायत/आवेदन पर विचार नहीं करेगा।
- 26.6 सभी अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति पूरी जानकारी अर्थात् नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, श्रेणी, चिकित्सा परीक्षा की स्थिति, पुलिस सत्यापन (पीवीआर) और कार्यभार ग्रहण की तिथि आदि के साथ दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- 26.7 चयनित अभ्यर्थियों को "नियुक्ति प्रस्ताव" प्राप्त करने के लिए एक "बुलावा पत्र" जारी किया जाएगा। यह पत्र चयनित अभ्यर्थियों को सभी औपचारिक औपचारिकताओं, अर्थात् मेडिकल फिटनेस, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन और दस्तावेजों की अंतिम जाँच आदि पूरी करने के बाद ही जारी किया जाएगा।
- 26.8 "नियुक्ति प्रस्ताव" पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल उस अभ्यर्थी को जारी किया जाएगा, जिसने सभी आवश्यक दस्तावेज (मूल रूप में) सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिए हों।
- 26.9 इसके बाद, अभ्यर्थियों को "अनुबंध प्रपत्र/बांड" (एफ-81) दिया जाएगा, जिसे उन्हें प्रशिक्षण में शामिल होने के समय प्रस्तुत करना होगा।

नोट: सभी चयनित अभ्यर्थियों के मामले, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है/अदालत में जाँच/मुकदमा लंबित है, उन पर एसओ संख्या एचआरडी/12/2025 के प्रावधानों और समय-समय पर हुए संशोधनों के अनुसार विधि अनुसार विचार किया जाएगा। विभागीय चयनित अभ्यर्थियों के मामले, जिनके विरुद्ध कोई डीई/पीई/आपराधिक मामला/सतर्कता जाँच आदि लंबित है, उनके मामलों को अंतिम रूप दिए जाने तक लंबित रखा जाएगा और मामलों के अंतिम रूप दिए जाने के बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

27 परीक्षा में प्रवेश :

- 27.1 इस विज्ञापन/सूचना के अनुसार अंतिम तिथि और समय तक अपना पंजीकरण कराने वाले सभी अभ्यर्थियों, जिनका ऑनलाइन आवेदन पत्र सही पाया जाता है और इस परीक्षा सूचना के नियमों व शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए रोल नंबर और प्रवेश प्रमाण पत्र (एसी) जारी किए जाएंगे। इसके बाद, योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
- 27.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्रों की विस्तृत जाँच नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक योग्यताएँ, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की जाँच कर लें और स्वयं को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय सहायक दस्तावेजों की प्रतियाँ माँगी जाएंगी। जाँच के दौरान, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उपयोगकर्ता विभाग/आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 27.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के किसी भी चरण के लिए **डाक/ईमेल** द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से एसएससी (मुख्यालय) की वेबसाइट देखते रहें।
- 27.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा की जानकारी, जिसमें **समय-सारिणी और परीक्षा शहर/केंद्र** शामिल हैं, परीक्षा तिथि से लगभग 10 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं मिलता है, तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण के साथ तुरंत आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा। ऐसा न करने पर उसे किसी भी विचारणीय दावे से वंचित कर दिया जाएगा।
- 27.5 अभ्यर्थियों को आयोग को कोई भी पत्र लिखते समय अपना पंजीकरण क्रमांक, पंजीकृत ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर, अपना नाम, जन्मतिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना होगा। इन विवरणों को प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 27.6 प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के आयोजन से लगभग **2-3 दिन** पहले आयोग/मुख्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। **अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रमाण पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में अवश्य लाना होगा।**
- 27.7 जिन अभ्यर्थियों ने **आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है**, उन्हें परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से दो (02) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और मूल वैध फोटो पहचान पत्र जिसमें प्रवेश प्रमाण पत्र पर छपी जन्मतिथि (डीओबी) हो, लाना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे:

27.7.2 मतदाता पहचान पत्र

27.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस

- 27.7.4 पैन कार्ड,
- 27.7.5 पासपोर्ट,
- 27.7.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी आईडी कार्ड,
- 27.7.7 नियोक्ता आईडी कार्ड (सरकारी/पीएसयू/निजी) आदि,
- 27.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक।
- 27.7.9 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र।

27.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी अंकतालिका; जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र) लाना होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में विसंगति होने पर, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उपरोक्त आवश्यकताएँ उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगी जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण करवाया है।

27.9 प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होते समय साथ लाना होगा।

27.10 धुंधले हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर स्पष्ट हो, बिना टोपी या चश्मे के हो, और सामने से पूरा दृश्य दिखाई दे। निर्देशों के अनुरूप न होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीर ली गई हो, अस्वीकार कर दिए जाएँगे। **हालाँकि, उपरोक्त कारणों से ऑनलाइन आवेदन पत्र की अस्वीकृति उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने आधार-आधारित प्रमाणीकरण करवाया है।**

28 दस्तावेज सत्यापन (डीवी) :

28.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुने गए सभी अभ्यर्थी और जो पीई और एमटी (अर्थात् दौड़, लंबी/ऊँची कूद और शारीरिक क्षमता और माप आदि) की सभी स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें पैरा 28.3 में उल्लिखित फोटोकॉपी और मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना आवश्यक है।

- 28.2 दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होते समय दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटोग्राफ तथा एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा, जैसा कि ऊपर पैरा 27.7 में सूचीबद्ध है।
- 28.3 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जैसे:
- 28.3.1 मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी प्रमाण पत्र.
 - 28.3.2 आवश्यक शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र.
 - 28.3.3 जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हो
 - 28.3.4 पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण पत्र (अनुबंध-छ), यदि लागू हो।
 - 28.3.5 भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए;
 - 28.3.6 यदि लागू हो तो अनुबंध-र के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र/एनओसी।
 - 28.3.7 अनुबंध-व के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों का वचना।
 - 28.3.8 सशस्त्र बलों से मुक्त होने पर, सेवामुक्ति प्रमाण पत्र,
 - 28.3.9 यदि आयु में छूट चाह रहे हों तो प्रासंगिक प्रमाण पत्र।
 - 28.3.10 दिल्ली पुलिस कार्मिकों/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों को जारी किया गया वार्ड प्रमाणपत्र (अनुबंध-ज), यदि लागू हो।
 - 28.3.11 आरआरयू प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
 - 28.3.12 खेल प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
 - 28.3.13 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र (अनुबंध- i), यदि लागू हो।
 - 28.3.14 यदि पहले से ही सरकारी/सरकारी उपक्रमों में कार्यरत हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - 28.3.15 एनसीसी प्रमाणपत्र-ए, बी या सी, यदि लागू हो।
 - 28.3.16 जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
 - 28.3.16.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति-पत्नी का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति और पत्नी का शपथ पत्र;
 - 28.3.16.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो; तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति या

पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी का शपथ पत्र, शपथ आयुक्त के समक्ष संयुक्त तस्वीर के साथ विधिवत ली गई शपथ।

28.3.16.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लेकर तलाक के आदेश और डीड पोल/शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति।

28.3.16.4 “विधवा/तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं” के अंतर्गत छूट प्राप्त करने का प्रमाण।

28.3.16.5 अन्य परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम परिवर्तन हेतु: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ पत्र/डीड पोल तथा दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना।

28.3.17 पीई एवं एमटी/डीवी के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

29 चयन का तरीका :

29.1 भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई), शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण (पीई एवं एमटी), ट्रेड टेस्ट एवं कंप्यूटर संचालन में दक्षता, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन तथा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

29.2 जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र सही पाए जाएँगे, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएँगे।

29.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।

29.4 पीई एवं एमटी अर्हक प्रकृति की होगी।

29.5 दस्तावेज सत्यापन (अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का संग्रह और मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्यापन) पीई और एमटी के समय दिल्ली पुलिस द्वारा उन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए किया जाएगा जो पीई और एमटी की सभी स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे।

29.6 परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

29.7 एसएसी, एसटी, ओबीसी, इडब्ल्यूएस और ईएसएम के अभ्यर्थी, जो बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता में उनकी स्थिति के अनुसार पद में अनारक्षित रिक्तियों या उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों में, जो भी उनके लिए सुविधाजनक हो, समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र एसएसी, एसटी, ओबीसी, इडब्ल्यूएस और ईएसएम अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।

29.8 एसएसी, एसटी, ओबीसी, इडब्ल्यूएस और ईएसएम अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, स्वीकृत अवसरों की संख्या, विस्तारित विचार क्षेत्र आदि जैसे शिथिल मानकों के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी मेरिट स्थिति चाहे जो भी हो, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में गिना जाएगा, अनारक्षित रिक्तियों में नहीं। जहाँ तक भूतपूर्व सैनिकों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाने की अनुमति है और ऐसी छूट को आयु संबंधी शिथिल मानक नहीं कहा जाएगा।

29.9 परीक्षा में सफलता से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता, जब तक कि सरकार ऐसी जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए जिसे आवश्यक समझा जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

29.10 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और उसे अंतिम परिणाम की घोषणा से एक वर्ष की अवधि के भीतर कर्मचारी चयन आयोग या संबंधित उपयोगकर्ता विभाग से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो उसे इसके तुरंत बाद संबंधित उपयोगकर्ता विभाग के साथ संवाद करना होगा।

29.11 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं गणित, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर संचालन में दक्षता और चिकित्सा परीक्षा से पहले या बाद में, साथ ही नियुक्ति/सेवा में शामिल होने के प्रस्ताव जारी होने के बाद, सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग /दिल्ली पुलिस द्वारा पद के लिए उनकी अभ्यर्थिता/चयन रद्द कर दिया जाएगा।

30. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

30.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाया जाता है तो इस परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उसे निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति आदि बाहर ले जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	01-02 वर्ष
2	निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व परीक्षा स्थल से बाहर जाना।	01 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	02-03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	03 वर्ष

5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	01-03 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	03 वर्ष
7	परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, वायरलेस उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	03-05 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	02-05 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	03 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	01-03 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	03-05 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना अथवा आग्नेय शस्त्रों /हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना या परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे- पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	07 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	07 वर्ष
14	छद्मवेष्टन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	07 वर्ष
15	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	07 वर्ष
16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	07 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	07 वर्ष
18	वह अभ्यर्थी जो एक ही फोटो और विभिन्न वैयक्तिक विवरणों जैसे नाम, माता / पिता का नाम, जन्म तिथि आदि अथवा विलोमतः रूप से विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर रहा है	01-05 वर्ष

30.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

31. **कर्मचारी चयन आयोग का अंतिम निर्णय:** पात्रता, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में कर्मचारी चयन आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

32. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार**

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

33. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है, या (ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

34 **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:**

1.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी: दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2.	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें।
3.	अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए अनुसार ही लिखनी होगी। यदि परीक्षा स्थल में प्रवेश के समय जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि दस्तावेज सत्यापन या किसी अन्य समय, नाम और जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
4.	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और नई वेबसाइट (अर्थात् https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पहले की तरह ही एकबारगी पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर पहले किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। ओटीआर के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नई वेबसाइट पर ओटीआर

	तैयार होने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति के अनुबंध-1 में दिए गए हैं
5.	वर्तमान परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे : (i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज (ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, (iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, आयकर असेसमेंट आदेश। (iv) फोटो। (v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।
6.	दिल्ली पुलिस द्वारा पीईएंडएमटी के समय अभ्यर्थियों से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे और उनका सत्यापन किया जाएगा। इसलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतिम रूप से जमा होने के पश्चात ही अभ्यर्थिता अनंतिम रूप से स्वीकृत की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अनिवार्य अपेक्षित अर्हताओं, आयु, शारीरिक मानक आदि को ध्यान से पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पदों के लिए पात्र हैं। शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी) के समय दस्तावेजों की जांच के दौरान, यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई भी दावा सही नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
7.	इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव/ भूपूसै या किसी अन्य छूट हेतु उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित लें कि वे इस ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। पीईएंडएमटी के दौरान प्रमाण पत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
8.	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। तथापि दिल्ली पुलिस/आयोग को किसी भी स्तर पर 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' का प्रिंट जमा की जरूरत नहीं है।
9.	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने की अनुमति है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी

	ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करता तथा परीक्षा (किसी भी स्तर पर) में एक से अधिक बार बैठता/बैठती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
10	निर्देशों के अनुसार न होने वाले, अनुपयुक्त फोटोग्राफ या धुंधले/छोटे हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
11	आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय ही अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा के बिना हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुनः खींच लें। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जहां उसकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, खारिज कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई फोटो अनुसार ही दिखना चाहिए है। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-III (4/4) दिए गए हैं। अपनी फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा: 1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें। 2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है। 3. अपने आप को सीधे वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें। 4. यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए। 5. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मानजर का चश्मा नहीं पहनना / चाहिए। 6. अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप)10 से में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने (केबी20 6 होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग. (चौड़ाई) सेमी 0X 2. होना (ऊंचाई) सेमी 0 चाहिए। धुंधले लघु हस्ताक्षर वाले /ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि आधार ,आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।

12	एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र (आयोग द्वारा उपलब्ध किए गए 'ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार हेतु विंडो' की समय समाप्ति के पश्चात) जमा करने का बाद किसी भी परिस्थिति में इसके किसी भी विवरण में संशोधन/सुधार हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा
13	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना सही और सक्रिय ईमेल पते और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग / दिल्ली पुलिस द्वारा ई-मेल / एसएमएस के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है। बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलने का अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि अभ्यर्थियों को सूचना भेजने के प्रयास आयोग द्वारा किए जाते हैं, आयोग एसएमएस / ईमेल / डाक आदि के माध्यम से भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं / चरणों / तिथियों के बारे में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग की वेबसाइट अभ्यर्थियों के लिए जानकारी का प्राथमिक स्रोत है और कोई भी अभ्यर्थी इस आधार पर किसी छूट का दावा नहीं कर सकता है कि उसे किसी भी प्रक्रिया के बारे में व्यक्तिगत रूप से ईमेल / एसएमएस आदि के माध्यम से सूचित नहीं किया गया है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में अपडेट के लिए नियमित रूप से आयोग / संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट देखें।
14	जिन अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय से कम से कम दो (2) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। (प्रवेश प्रमाणपत्र के अलावा-, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटोआईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म - पत्र में दी गई है-तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश, लाना अनिवार्य है, जैसे: - ड्राइविंग लाइसेंस, - पैन कार्ड, - पासपोर्ट, - विश्वविद्यालयपत्र-स्कूल द्वारा जारी पहचान/कॉलेज/ - नियोक्ता द्वारा जारी पहचान (सार्वजनिक उपक्रम/सरकारी) पत्र- - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका - केंद्रीयपत्र-राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण/ यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
16	उपरोक्त परीक्षा हेतु कोई प्रवेश प्रमाण पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु अपना प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।
17	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
18	आयोग सक्षम प्राधिकारी से यथोचित प्राधिकरण के अध्यक्षीन सत्यापन प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थियों के आधार डेटा का उपयोग कर सकता है।
19	ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार हेतु विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन अलग-अलग पंजीकरण संख्याओं के साथ पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी चरण में) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे नियमानुसार आयोग की परीक्षाओं से वारित कर दिया जाएगा।
20	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर उसे दिल्ली पुलिस से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल दिल्ली पुलिस विभाग से संपर्क करना चाहिए।
21	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति(अजजा) तथा भूतपूर्व सैनिक(भू.पू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
22	आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 02 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन पत्र डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 13 में दिए गए विवरणानुसार, निर्धारित सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को वैध

	माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए पिछले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा।
23	सुधारित/ अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। सुधारित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या ' ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
24	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तिथि, रिक्ति स्थिति आदि से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आयोग की नई वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।
25	परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों का छद्मरूप धारण करने की कोशिश करने वाले लोगों के उदाहरण देखे गए हैं। चूंकि तस्वीर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय खींची जाती है, इसलिए परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के रूप-रंग में ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर से अलग कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी को परीक्षा में नहीं बैठने देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए, अभ्यर्थियों को उनके हित में यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि परीक्षा के दिन उनकी उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार हो। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो ली गई हैं, रद्द कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
26	परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग विस्तृत परीक्षा के पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वारित करना भी शामिल है।
27	अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे एक पुलिस बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसलिए वे चयन प्रक्रिया में शारीरिक/मानसिक तौर पर पूर्णतः तैयार होकर भाग लें और भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/ दुर्घटना के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस को किसी भी अप्रत्याशित घटना/ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर भर्ती में भाग लेंगे।

28	यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अपने सिर पर चोट (उभार/ फूलना) लगा लेता है अथवा अम्लिका (टेमारिन्ड) रख लेता है, तो उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया जाएगा।
29	पीई एवं एमटी के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी ओजस्वी दवा के सेवन से प्रभावित पाया जाता है तो उसे भर्ती के आगे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
30	शारीरिक माप परीक्षा के लिए हर केंद्र पर अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/ या सहमत नहीं होता है तो वह पीठासीन अधिकारी के माध्यम से संबंधित भर्ती केंद्र पर उसी दिन अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता/ सकती हैं। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद आगे किसी भी अपील या प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती हैं।
31	ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंत में दिए गए घोषणापत्र पर विशेष ध्यान दें। घोषणापत्र पर सहमति/हस्ताक्षर करने से पहले, अभ्यर्थियों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणापत्र की विषय -वस्तु को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के बाद ही सहमति/हस्ताक्षर करना चाहिए कि दी गई जानकारी सही है। किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने/गलत बयानी/गलत घोषणा करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
32	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 180 030 930 63 पर कॉल करें।

अवर सचिव, भारत सरकार
24.09.2025

अनुबंध-I

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- (क) एक बारगी पंजीकरण) ओटीआर(
- (ख) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण (

1. कृपया ऑनलाइन बारगी-एक' पंजीकरण प्रपत्र' और 'ऑनलाइन आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो औरया हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों / को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।-

3. वर्तमान परीक्षा के लिए आधार पर आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय) एक बारगी पंजीकरण ,ओटीआरकरने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को (प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार पर आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं) उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण ,ओटीआरको पूरा (करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

4. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं / दस्तावेज तैयार रखें:

क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

ग. आधार कार्ड संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरण में मूल दस्तावेज को उपलब्ध कराना होगा।)

i. वोटर आईडी कार्ड

ii. पैन

iii. पासपोर्ट

iv. ड्राइविंग लाइसेंस

v. स्कूल/कॉलेज आई डी

vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

घ. परीक्षा बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

ड. यदि आप एक दिव्यांग हैं तो दिव्यांगत प्रमाणपत्र संख्या।

5. एक बारगी पंजीकरण (OTR) के लिए, आयोग की नई वेबसाइट अर्थात <http://ssc.gov.in> पर दिए गए 'Login or Register' के खंड में दिए गए 'Login Now' बटन पर क्लिक करें।

6. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

क. व्यक्तिगत विवरण

ख. पासवर्ड निर्माण

ग. अतिरिक्त विवरण

घ. घोषणा।

7. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

- क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात, आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा फील्ड (क्षेत्र) मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख. **क्रम संख्या- 1:** आधार संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-
- (i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज
 - (ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,
 - (iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, आयकर असेसमेंट आदेश।
 - (iv) फोटो।
 - (v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।
- ग. क्रम संख्या- 2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- घ. क्रम संख्या- 3: यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 3क और 3ख में करें।
- ङ. क्रम संख्या- 4: अपना लिंग बताएं (पुरुष/महिला)।
- च. क्रम संख्या- 5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या- 6: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ज. क्रम संख्या- 7: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- झ. क्रम संख्या- 8 से क्रम संख्या- 10: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम

ii. रोल नंबर

iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

- ज. क्रम संख्या- 11: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ट. क्रम संख्या- 12: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ठ. क्रम संख्या- 13: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेलआईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ड. अपने स्थायी पते के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का विवरण दें।
- ढ. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सेव किया जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सेव हो जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ण. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सेव किए गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- त. अपनी पंजीकृत संख्या को उपयोगकर्ता नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

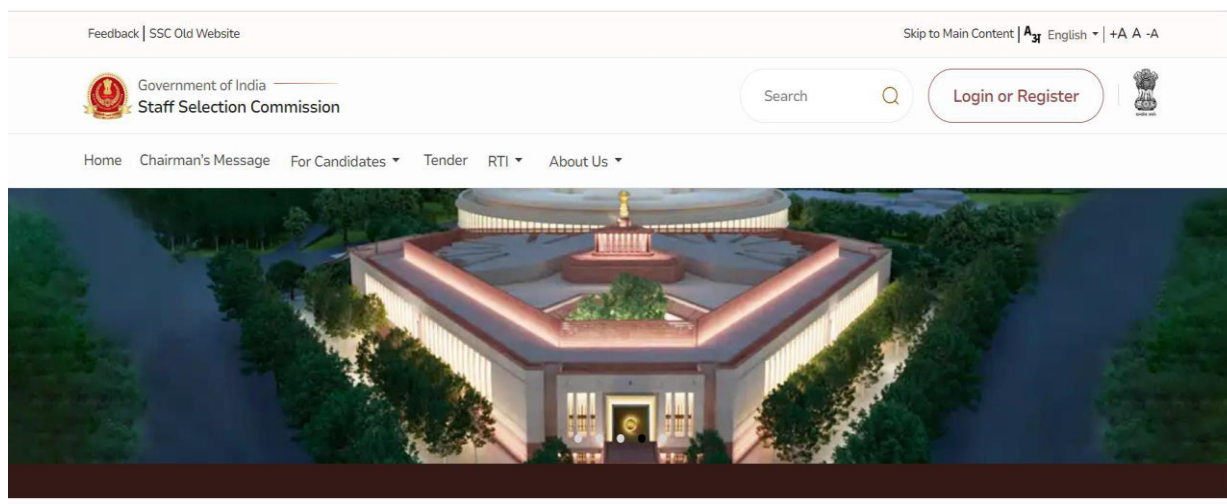
पासवर्ड बनाना

- थ. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- द. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- ध. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

अतिरिक्त विवरण

- न. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
 - न. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
 - प. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।
 - फ. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
 - ब. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
 - भ. क्रम संख्या- 6 - 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सेव करें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
 - म. प्रदान की गई जानकारी को सेव करें। ड्राफ्ट प्रीव्यू का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
 - य. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
 - र. दी गई जानकारी को सेव करें। ड्राफ्ट का प्रिंट आउट लें और 'Final Submit' से पहले दी गई जानकारी की समीक्षा करें।
 - ल. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
8. आप अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) के डाटा को संपादित/ संशोधित नहीं कर सकते, आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है।
9. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

एकबारगी पंजीकरण के स्क्रीनशॉट्स



Candidate

Admin

Username (Registration Number) *

Registration Number

Password (SSC Registration Password) *

.....

Forgot Password

B8gBq

Refresh

Captcha *

Captcha

Login

New User ? Register Now

[Feedback](#) | [SSC Old Website](#)

 Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register



[← Homepage](#) > [One Time Registration](#)

New Candidate

One Time Registration


Personal Details
Candidate's Name,
Identification, Contact


Password Creation
Create New Password


Additional Details
Candidate's
Nationality, Address,
Education


Declaration
Candidate's Details,
Confirmation

Note

Candidates must be very cautious while filling up One Time Registration (OTR) details. Your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information is furnished.

Continue

 **Staff Selection Commission**

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
[Archives](#)
[Disclaimer](#)
[Sitemap](#)
[Help](#)
[Website Policies](#)
[Web Information Manager](#)

Contact Us
 Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website



Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register



1. Personal Details
Candidate's name, identification, contact

2. Password Creation
Create New Password

3. Additional Details
Candidate's nationality, address, education

4. Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
☒ Yes ☐ No

1.1. Enter Your Aadhaar Details (UID / VID) *

e.g. 25252527252

Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card.

a. Verify Aadhaar Details (UID / VID) *

e.g. 10101010101010

☐ I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC. I understand that the authentication will be done using my Aadhaar number or biometric data and that my information will be processed and stored securely. I acknowledge that I have read and understood the Privacy Policy and Terms of Service of SSC.

Send OTP

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
☐ Yes ☒ No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *

Select

a. Verify Gender *

Select

5. Date of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *

Select

Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

(2) Only / and - are allowed. Please enter Roll number without any other special character(s).

(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *

Select

a. Verify Year of Passing *

11. Highest Level of Education Qualification *

Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next



Staff Selection
Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Waiting Candidates

Useful links

Archives

Disclaimer

Sitemap

Help

Website Policies

Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission

Search
Login or Register

Home Page > One Time Registration

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

One Time Registration
Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
☐ Yes ☒ No

1.1. Documents *
Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document)
 No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gasetted officer, Aadhar card)
 No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order)
 No file chosen

Please Upload Photo
 No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate)
 No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/Ms/ Sir/Mr/ Mrs/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
☐ Yes ☒ No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select

a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Sir/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e. Mrs/ Sir/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select

Education Board of Matriculation Examination.
a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed. Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select

a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124562382

Last updated on Feb 13, 2024

Page 56 of 96

[Feedback](#) | [SSC Old Website](#)

Government of India
Staff Selection Commission

[Login or Register](#)



**Personal Details**
Candidate's name, identification, contact

**Password Creation**
Create New Password

**Additional Details**
Candidate's nationality, address, education

**Declaration**
Candidate's details confirmation

← [Homepage](#) > [One Time Registration](#)

Your Registration Number

10000000459

Note

1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.

Continue

**Staff Selection Commission**

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful Links

- [Archives](#)
- [Disclaimer](#)
- [Sitemap](#)
- [Help](#)
- [Website Policies](#)
- [Web Information Manager](#)

Contact Us

 Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Page 57 of 96

Feedback | SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




Personal Details

Candidate's name, identification, contact

Password Creation

Create New Password

Additional Details

Candidate's nationality, address, education

Declaration

Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

1000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # \$ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset

Save & Next


Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Page 58 of 96

Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration
Additional Details

1. Category *
EWS

a. Verify Category *
EWS

2. Nationality *
Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *
MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *
☐ Yes ☒ No
a. Type of Disability
Note
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.
b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *
a. Address *
b. State/UT *
Select
c. District *
Select
d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *
☐ Yes ☒ No
a. Address *
b. State/UT *
Select
c. District *
Select
d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful Links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

[Feedback](#) | [SSC Old Website](#)

 Government of India
Staff Selection Commission



 **Personal Details**
Candidate's name, identification, contact

 **Password Creation**
Create New Password

 **Additional Details**
Candidate's nationality, address, education

 **Declaration**
Candidate's details confirmation

[← Homepage](#) > [One Time Registration](#)

One Time Registration
Declaration

1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.

2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.

☐ I Agree for the above Terms & Conditions

[Preview OTR](#) [Declare](#)

 **Staff Selection Commission**

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
[Archives](#)
[Disclaimer](#)
[Sitemap](#)
[Help](#)
[Website Policies](#)
[Web Information Manager](#)

Contact Us
 Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित सामग्री/विवरण/डाटा तैयार रखें:

(क) एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले- अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए हो और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। स्वीकृत अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने/ अनुबंध-III(4/4) में दिए गए हैं। यदि खींची गई फोटो स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह पुनः फोटो खींचे। स्वीकृत नमूने के अनुरूप न होने वाले फोटोग्राफ वाले आवेदन निरस्त किए जा सकते। परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

-)i.(अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
-)ii.(फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
-)iii.(अपने आप को सीधे वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें।
-)iv.(यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।
-)v.(अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मानजर का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो अभ्यर्थी कैमरे के माध्यम से अपनी फोटो खींचने में असमर्थ हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने , मोबाईल डिवाइस के माध्यम से फोटो खींचने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल फोन हेतु प्ले स्टोर से ऐप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए Upload Documents के क्रम सं.1 में दिए गए क्यूआर)QRकोड (का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। आवेदन फोटो निर्देशानुसार न होने पर रद्द कर दिए जाएंगे। स्वीकृत नमूने] अनुबंध -III) 4/4[(के अनुरूप न होने वाले फोटोग्राफ वाले आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं। स्वीकृत] अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने/अनुबंध -III) 4/4[(में दिए गए हैं।

(ख) स्कैन किए गए हस्ताक्षर जेपीईजीजेपीजी/ फॉर्मेट)10 से (केबी 20में होने चाहिए। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई)X 2.0 सेमी होना चाहिए। (ऊंचाई)धुंधले अपठनीय हस्ताक्षर वाले/ऑनलाइन आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

तथापि ,आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो औरया हस्ताक्षर निर्धारित / मानकों के अनुसार नहीं हैं।

2. अपनी 'पंजीकरण संख्या' और 'पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'लाइव परीक्षा' टैब के अंतर्गत खंड 'Head Constable {Assistant Wireless Operator (AWO)/Tele-Printer Operator (TPO)} in Delhi Police Examination-2025' में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं. 1 से 18 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है।
5. क्रम सं. 19: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाएं।
6. क्रम सं. 20 से 20.7 : अपनी अनिवार्य अर्हता [अर्थात विज्ञान और गणित विषयों के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (उच्च माध्यमिक) या यांत्रिकी-सह-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी)] का विवरण प्रदान करें। निम्नलिखित विवरण भरा जाए:
 - (i) ईक्यू स्तर
 - (ii) उत्तीर्ण करने का वर्ष
 - (iii) राज्य संघ राज्यक्षेत्र/का बोर्ड
 - (iv)बोर्ड का नाम
 - (v) अनुक्रमांक
 - (vi)प्रतिशतता
 - (vii)सीजीपीए
7. क्रम सं. 21 से 21.4 : यदि आपके पास यांत्रिकी-सह-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र है तो निम्नलिखित विवरण भरें:
 - (i) ट्रेड का प्रकार
 - (ii) जारी करने वाले प्राधिकारी संस्था का नाम। /
 - (iii) प्रमाणपत्र संख्या
 - (iv)जारी करने की तिथि

8. क्रम संख्या 22 : यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी अंतर्गत किसी जाति से संबंधित है तो 'Yes' का चयन करें। यह छूट केंद्रीय सूची और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूची में अधिसूचित जातियों के लिए मान्य है (विज्ञप्ति का पैरा 5.2 और पैरा 5.6 का नोट-I देखें)।
9. क्रम संख्या 23 से 23.4: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक (इएसएम) हैं या सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, तो क्रम सं. 23 से 23.4 तक आवश्यक जानकारी भरें। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है (विज्ञप्ति का पैरा 7 देखें)।
10. क्रम सं. 24 : यदि आप दिल्ली पुलिस के 'विभागीय अभ्यर्थी' हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति का पैरा 5.5 देखें)। **विभागीय रिक्तियां दिल्ली पुलिस के स्थायी सिपाहियों (कांस्टेबल) से भरी जाएंगी।** (विज्ञप्ति के पैरा 3.4 का संदर्भ लें)।
11. क्रम सं. 25 : यदि आप 'विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से अलग' महिला हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति का पैरा 5.3 देखें)।
12. क्रम सं. 26 : यदि आप दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिक/ मल्टी-टासकिंग कर्मचारी के पुत्र/ पुत्री है तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति का पैरा 6 देखें)।
13. क्रम सं. 27 : यदि आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पिछले 3 वर्षों के दौरान खेल में, अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अथवा किसी राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति का पैरा 5.4 देखें)।
14. क्रम सं. 27.1 : यदि हां तो अपने खेल का नाम/प्रकार चुनें (विज्ञप्ति के अनुबंध-क को देखें)।
15. क्रम सं. 28 से 28.1: यदि आप आयु-सीमा में छूट चाहते हैं, तो क्रम सं. 28.1 पर उपयुक्त आयु-छूट श्रेणी का चयन करें (विज्ञप्ति का पैरा 5.7 देखें)।
16. क्रम सं. 29: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु वरीयता के क्रम में तीन परीक्षा केंद्र (देश में कहीं भी) चुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 14.1 का संदर्भ लें।
17. क्रम सं. 30 से 30.1: क्या आप एनसीसी प्रमाण-पत्र धारक हैं ? यदि 'हां' तो एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें (विज्ञप्ति का पैरा 10.1 देखें)।
18. क्रम सं. 31 से 31.1 : क्या आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा / डिग्री है? यदि 'हां' तो डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का विवरण प्रदान करें (विज्ञप्ति का पैरा 10.2 देखें)।

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें (हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश अनुबंध-III में दिए गए हैं):-

19. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार बिना चश्मे/टोपी के अपना लाइव फोटोग्राफ अपलोड करें/

क. (अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।

- ख. (फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।
- ग. (अपने आप को सीधे वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।
- घ. (यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए ।
- ङ. (अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा नज़र का चश्मा नहीं पहनना/ चाहिए।
- (च). किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीरों की फोटो नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीरों की फोटो ली गई हैं, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- (छ). फोटो खींचते समय ईयरफोन या कोई भी उपकरण न पहनें।

20. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें :-

क. स्वीकृत छवि आकार: जेपीजी /जेपीईजी प्रारूप में 10 केबी से 20 केबी तक।

ख. छवि का आयाम: लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई)।

ग. धुंधले/लघु हस्ताक्षरों वाला ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

घ. हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से सरेखित होने चाहिए।

ङ. स्वीकृत और अस्वीकृत हस्ताक्षरों के नमूने **अनुबंध-III (2/4)** में दिए गए हैं।

21. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो “I agree” चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।

22. अपने द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करें और उसका सत्यापन करें । यदि आप किसी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो ‘Edit/Modify’ बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन करें । जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है, तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापित करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें । आवेदन जमा करने के पश्चात आप ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।

23. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

24. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, या रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड द्वारा जमा किया जा सकता है। शुल्क भुगतान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा-12 का संदर्भ लें।
25. जब ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए।

(ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्क्रीनशॉट्स)

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Online Application Form

Constable (Executive) Male and Female in Delhi Police Examination, 2025

Instructions to follow

- Read the [Notice of Examination](#) carefully.
- Please be careful and provide correct details in the Online Application Form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself/ herself. The Online Application Module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the Online Application Form. For this purpose, the candidate has to stand/ sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his/ her signature in JPEG/ JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Online Application Form with blurred/ miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, Master Card, Maestro, or RuPay, Debit Card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

[Fill Form >](#)

 **Staff Selection Commission**

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- [Archives](#)
- [Disclaimer](#)
- [Sitemap](#)
- [Help](#)
- [Website Policies](#)
- [Web Information Manager](#)

Contact Us

 Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586242

Last updated on Jun 13, 2025

क. अभ्यर्थी की जानकारी

1.1 व्यक्तिगत विवरण

Feedback | SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




1 Candidate Information
2 Additional Information
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Post Details

Personal Details

Note: Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of the One-time Registration details, click on 'Edit Registration Details' button provided at the righthand top corner of 'Candidate Dashboard' and make suitable corrections before proceeding further.

- Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)
- New / Changed Name:
- Father's Name:
- Mother's Name:
- Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):
- Age as on 01/01/2025:
- Gender:
- Category:
- Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?
- If Yes, Type of Disability:
- Nationality:
- Visible Mark of Identification:
- Matriculation (10th Class) Examination Board:
- Matriculation (10th Class) Year of Passing
- Matriculation (10th Class) Roll No.:
- 15.1. Permanent Address:
- 15.2. State:
- 15.3. District:
- 15.4. PIN Code:
- 16.1. Correspondence Address:
- 16.2. State:
- 16.3. District:
- 16.4. PIN Code:
17. Email:
18. Mobile Number:

Next

1.2 शैक्षिक विवरण:

Feedback | SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Education Detail

Education Details

19. Highest Educational Qualification: *

Select

Essential Qualification

20. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Select

Please refer to Para 5.11 (ESM) and Para 7 of the Notice of Examination

20.1. EQ Status: *

Select

20.2. Passing Year: *

Select

20.3. State/ UT of Board: *

Select

20.4. Name of Board: *

Select

20.5. Roll Number: *

Enter roll no here...

20.6. Percentage:

Enter percentage here...

20.7. CGPA:

Enter CGPA here...

Go Back Save & Next


Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586243

Last updated on Jun 13, 2025

ख. अतिरिक्त विवरण :

2.1 अतिरिक्त विवरण-I:

Feedback SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

21. Do you possess OBC Category certificate notified in the Central list or by the Govt. of NCT of Delhi? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.2

☒ Yes ☐ No

22. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *

☐ Yes ☒ No

23. Whether eligible for special quota as ESM for Delhi Police? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 3.1

☒ Yes ☐ No

24. Are you a Departmental Candidate of Delhi Police? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.5

☒ Yes ☐ No

Verify whether you are a Departmental Candidate of Delhi Police:

☒ Yes ☐ No

25. Whether a widow/ divorced/ judicially separated woman? *

☐ Yes ☐ No

26. Whether son/ daughter of serving, retired or deceased personnel/ Multi Tasking Staff of Delhi Police? *

☒ Yes ☐ No

27. Have you represented a State at the National level or the country at the international level in sports during the preceding 3 years from the closing date of receipt of Online Application Form? *

☒ Yes ☐ No

27.1. Please select the discipline of your sport: *

Archery

28. Whether seeking Age Relaxation? *

☒ Yes ☐ No

Note: In case no age relaxation is applicable, please select 'No'.

28.1. If Yes, Age Relaxation Code: *

Select

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.1

Go Back Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124586264
Last updated on Jun 13, 2025

2.2 अतिरिक्त विवरण-I:

Feedback | SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

29. Preference of Examination Centres: *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11.1

Preference 1:
Select

Preference 2:
Select

Preference 3:
Select

30. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 10.1

☒ Yes ☐ No

Verify whether you are a NCC Certificate holder:
☒ Yes ☐ No

30.1. Type of the NCC Certificate *
Select

Confirm Type of NCC Certificate:
Select

31. Do you possess Degree/ Post Graduate Diploma awarded by the Rashtriya Raksha University (RRU)? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.8

☒ Yes ☐ No

31.1. Indicate the name of the class obtained in Degree/ Post Graduate Diploma: *
Select

Go Back Save & Next


Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586264

Last updated on Jun 13, 2025

ग. हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड करना :

Feedback | SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

Upload Photograph & Signature

To download the app from the play store, scan the below QR code



2. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

 Capture Live Photo

3. Upload Your Signature *

Instructions:

- Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection. [Click here to read](#)
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

 Upload Signature

Go Back Save & Next


Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586243

Last updated on Jun 13, 2025

Instructions to Candidates for uploading of signatures

- 1) The major reasons for rejection of signatures are “miniature” signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.



Cut the box & Sign within the box

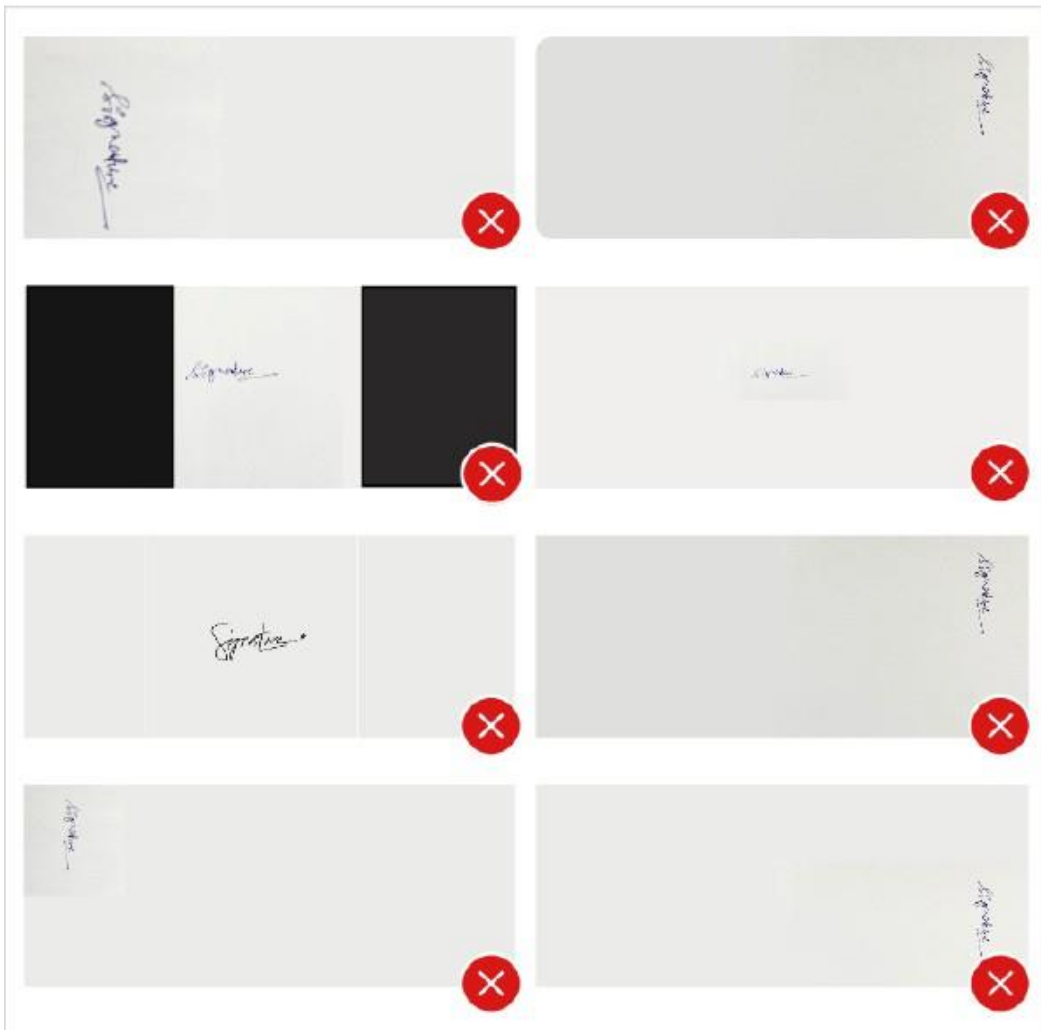
- 2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Signature

1. Good For Approval



2. Rejected



3) The major reasons for rejection photographs are :

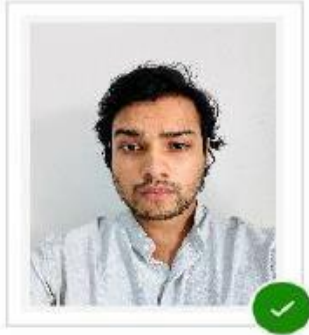
- (i) Photo without plain background.
- (ii) Candidates wearing caps
- (iii) Candidates taking photos without shirts.
- (iv) Photo not sufficiently bright.
- (v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

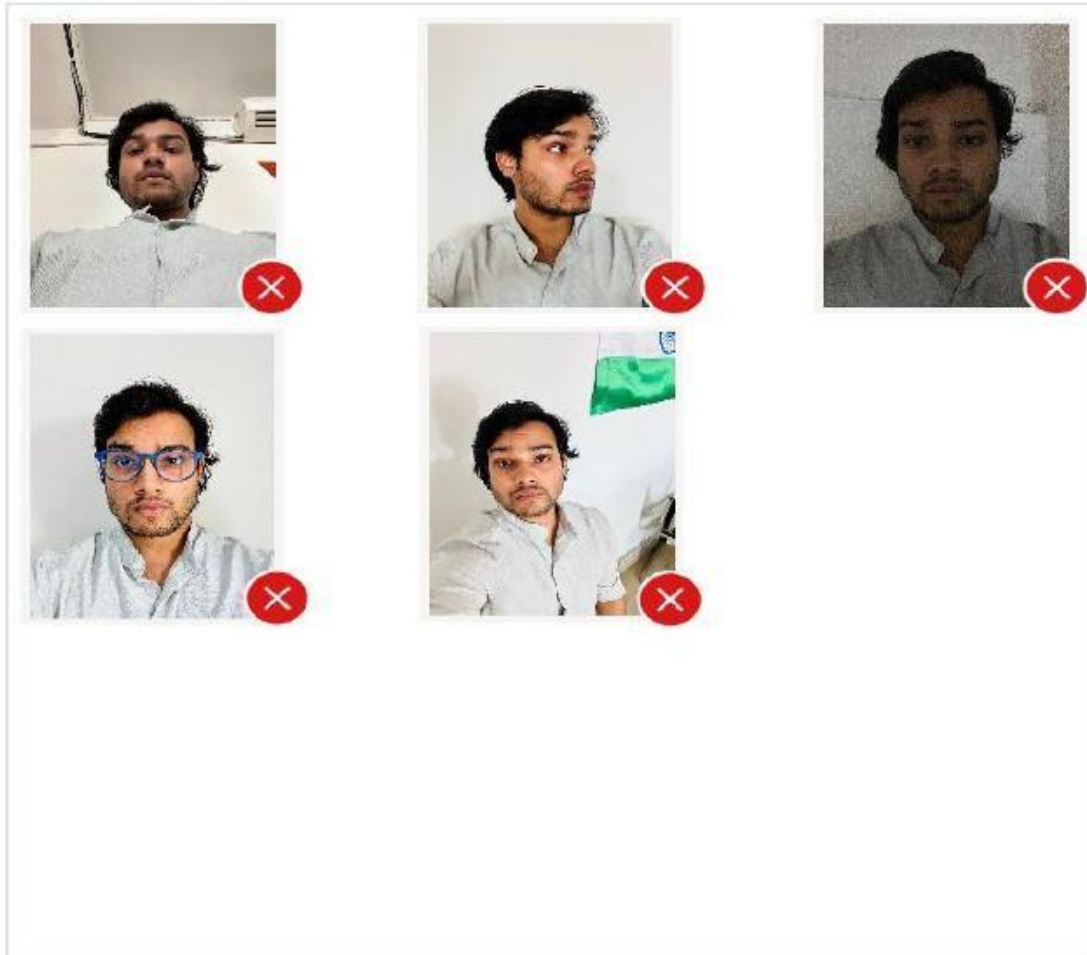
4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Photograph

1. Good For Approval



2. Rejected



आयु-छूट के पात्र खेलों/ खेल के खिलाड़ी

1. तीरंदाजी
2. एथलेटिक्स
3. बैडमिंटन
4. बास्केटबॉल
5. मुक्केबाजी
6. क्रिकेट
7. साईकल चलाना
8. घुड़सवारी
9. फुटबॉल
10. जिम्नास्टिक
11. हॉकी
12. जूडो
13. कबड्डी बीच कबड्डी /सर्कल कबड्डी /
14. कराटे
15. खो खो-
16. तैराकी
17. निशानेबाजी
18. टेबल टेनिस
19. टेनिस
20. ट्रियाथलोन
21. वोलिबॉल
22. कुश्ती
23. भारत्तोलन

फॉर्म-2

(राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----राज्य संघ में
-----के खेल में
(राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध)

पासपोर्ट आकार का फोटो
जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर सहित

केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री-----
-----, की जन्मतिथि-----निवासी-----
--(पूर्ण पता) -----राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के-----
में दिनांक-----से ----- तक आयोजित -----
खेल/प्रतियोगिता में ----- राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा----- स्थान प्राप्त किया गया था।
यह प्रमाण पत्र----- राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी
किया गया है।
स्थान-----
दिनांक-----

हस्ताक्षर-----
नाम-----
पदनाम-----
राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----
पता-----
मुहर-----

राज्य संघ/महासंघ का नाम _____

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राज्य संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगी।

फॉर्म-1

(अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ
(भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)

पासपोर्ट आकार का फोटो
जारी करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर सहित

केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पत्नी/पुत्री, श्री-----
-----, की जन्मतिथि-----निवासी-----
(पूर्ण पता)-----राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के----- में
दिनांक ----- से ----- तक आयोजित-----
खेल/प्रतियोगिता में ----- भारत देश का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा----- स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र----- राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के
आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----

दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

नाम-----

पदनाम-----

राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----

पता----- मुहर-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने
पर ही मान्य होगी।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ के पुत्र/पुत्री,
श्री/श्रीमती/कुमारी _____ ग्राम/नगर _____
जिला/संभाग _____ राज्य _____ के _____
_____ समुदाय से संबंधित हैं जो निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, सं 186 दिनांक 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/68/93-बीसीसी(सी), दिनांक 10 सितंबर, 1993।

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, सं 163 दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19.10.1994।

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, सं 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24 मई, 1995।

संकल्प सं 12011/96/94-बीसीसी, दिनांक 9 मार्च, 1996।

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, सं 210 दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1996।

संकल्प सं 12011/13/97/-बीसीसी, दिनांक 3 दिसंबर, 1997।

संकल्प सं 12011/99/94 -बीसीसी, दिनांक 11 दिसंबर, 1997।

संकल्प सं 12011/68/98-बीसीसी, दिनांक 27 अक्तूबर, 1999।

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, सं 270 दिनांक 6 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/88/98-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1999।

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, सं 71 दिनांक 4 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 4 अप्रैल, 2000।

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, सं 210 दिनांक 21.09.2000 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/44/99-बीसीसी, दिनांक 21.09.2000।

संकल्प सं 12015/9/2000-बीसीसी, दिनांक 06.09.2001।

संकल्प सं 12011/1/2001-बीसीसी, दिनांक 19.06.2003।

संकल्प सं 12011/4/2002-बीसीसी, दिनांक 13.01.2004।

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, सं 210 दिनांक 16.01.2006 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/9/2004-बीसीसी, दिनांक 16.01.2006।

श्री/श्रीमती/कु. _____ और/अथवा उनका परिवार
सामान्यतः _____ राज्य के _____

जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93 स्था.-(एससीटी), दिनांक 08.09.1993 तथा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.36033/3/2004 स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

जिला अधिकारी/उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी
(कार्यालय की मुहर सहित)

टिप्पणी:

- (क) यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।
- (ख) जाति प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:-
- (i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अपर सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम की रैंक का न हो)।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल ऑफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____
निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के
_____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित)।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
 संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
 संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
 संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के पिता/माता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____
 (कार्यालय की मुहर सहित)
 स्थान _____
 दिनांक _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**

जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर
_____ जिला _____ राज्य/संघ _____ राज्य-क्षेत्र
_____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी / उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8
लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/ उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम.....

अभ्यर्थी अभ्यर्थी के हाल ही का
पासपोर्ट अभ्यर्थी के हाल ही का
पासपोर्ट आकार

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/ पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/ कुमारी -----पुत्र/ पुत्री/पत्नी-----
-----श्री-----ग्राम-----तहसील/तालुका-----
-----जिला-----राज्य -----के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

* वह गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा, मराठा श्रेणी से संबंध रखता/ रखती है और अभ्यर्थी असम , हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र का/की हैं।

*वह उत्तर पूर्व के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा और अभ्यर्थी गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) का/की हैं जिसमे दार्जिलिंग जिला के तीन उप-खंड दार्जिलिंग, कलिमपोंग, और क्यूर्सोंग मिला हुआ है और इन जिलों के निम्नलिखित “मौजा” उप-खंड शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान, (2) लोहागढ़ जंगल, (3) रंगमोहन, (4) बाराचेङ्गा, (5) पानिघाता, (6) छोटा अदलपुर, (7) पहरू, (8) सुकना जंगल, (9) सुकना भाग-I, (10) पंटापटी जंगल-I, (11) महानदी जंगल, (12) चंपासरी जंगल, (13) सालबरी छट भाग-II, (14) सिटोंग जंगल, (15) सिवोक पहाड़ी जंगल, (16) सिवोक जंगल, (17) छोटा चेंगा, (18) निपनिया।

*वह अनुसूचित जनजाति के/की हैं।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक:

स्थान:

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अभ्यर्थी को दिल्ली पुलिस के सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत पुलिस कार्मिक या मल्टी-टास्किंग स्टाफ के
अभिभावकता का प्रमाण-पत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ (पुलिस कार्मिक/ एमटीएस का नाम)
रैंक _____ रैंज/ कॉन्स्टेबुलरी संख्या. / पीआईएस संख्या. _____ जिला/ इकाई में/से दिनांक को / से
सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत/ _____ से _____ हैं। उनका/ उनकी पुत्र/ अविवाहित पुत्री
_____ (नाम) दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) भर्ती में अनंतिम रूप से भाग
लेना चाहता/ चाहती हैं।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर
(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:-----

अभ्यर्थी को विभागीय अभ्यर्थी के रूप में दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ (पुलिस कार्मिक का नाम), रैंज/ कॉन्स्टेबलरी/ बेल्ट संख्या. _____ और पीआईएस संख्या. _____ दिल्ली पुलिस में दिनांक. _____ को नियुक्त किया गया था और वर्तमान रैंक/ विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। वह वर्तमान में _____ दिल्ली पुलिस के जिला/ ईकाई में तैनात हैं और दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (कार्यकारी) पुरुष/ महिला भर्ती की परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ये दिनांक _____ को परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरी कर चुके हैं और अपने/ अपनी सेवा के दौरान इन्हे.....बड़ी शास्ति और छोटी शास्ति दी गई हैं। वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई भी वि.जां/ प्रा.जां./ आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है (अगर हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति बताएं)।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर
(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:-----

टिप्पणी:- टिप्पणी:- ‘विभागीय अभ्यर्थी’ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की है और जो अन्यथा सभी शैक्षणिक एवं अन्य शारीरिक योग्यताएँ पूरी करते हों।

दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) के पद की भर्ती
पीई एंड एमटी-शीट

अनुक्रमांक सं.-	नाम:
जन्म तिथि -	पिता का नाम:
-----को आयु	लिंग: महिला/पुरुष :
	श्रेणी :
	पीई एंड एमटी दिनांक :
	पीई एंड एमटी केंद्र :

शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण शीट

अभ्यर्थी हेतु:

अपने मुक्त हस्तलेख में प्रमाणीकरण वक्तव्य लिखें और हस्ताक्षर करें :

“मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका नाम और अनुक्रमांक इस प्रवेश पत्र में है”

कृपया लिखें

माता का नाम _____

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर _____

शारीरिक क्षमता परीक्षा

विवरण	अर्हताप्राप्त	गैर अर्हताप्राप्त-	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	संचालन करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद
दौड़				
लंबी कूद				
ऊंची कूद				

अभ्यर्थी का शारीरिक माप

विवरण	ऊंचाई (.मी.से)	सीना (.मी.से)	सीना (.मी.से) फुलाने पर	पूरी की गई / पूरी नहीं की गई	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	माप करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद
प्रथम माप						
अपील के बाद						

मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन

जमा कर दिए गए हैं (हां अथवा नहीं)					
क- शैक्षणिक योग्यता	हां अथवा नहीं	टिप्पणी	घ- अनिवार्य अपेक्षा	हां अथवा नहीं	टिप्पणी
(i) जन्म तिथि हेतु मैट्रिक प्रमाणपत्र			इ- भूतपूर्व सैनिक		
(ii) 10+2 (उच्च माध्यमिक) अथवा मैकेनिक – सह - ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के ट्रेड में प्राप्त राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र (एनटीसी)			(i) सेवामुक्ति की तिथि (ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से दो वर्ष के भीतर होनी चाहिए)		
(iii) स्नातक बीए/बी.कॉम/बी.एससी _____ बी. टेक _____ अन्य _____					
(iv) स्नातकोत्तर, यदि कोई है			(ii) एनओसी के मामले में (प्रस्तुत सेवामुक्ति की तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए)		
क- अजा/अजजा/अपिव/आकव प्रमाणपत्र			च. क्या आप विभागीय अभ्यर्थी हैं, यदि हां:- दिल्ली पुलिस में भर्ती की तिथि _____		
ख-1 पुलिस अभिभावकता प्रमाणपत्र			छ. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदत्त		

			डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा, यदि है तो डिस्टिंक्शन/ प्रथम/ द्वितीय/ उत्तीर्ण की तिथि		
एनसीसी प्रमाणपत्र – क/ख/ग संख्या _____ दिनांक _____					
ग- खेल प्रमाणपत्र (ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व के खेलों में)					
(i) राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व _____ (ii) खेल का नाम _____					
(i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व _____ (ii) खेल का नाम _____					
दस्तावेज सत्यापन के पश्चात (जो लागू हो उसे चिह्नित करें)	पूरी की गई	पूरी नहीं की गई	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान	दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम के प्रभारी का नाम और रैंक	
दस्तावेज सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम और रैंक					
शारीरिक क्षमता परीक्षा (दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद)/ शारीरिक माप परीक्षण (ऊंचाई एवं सीना)/ दस्तावेज सत्यापन के मामले में अयोग्य पाए जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने हेतु। मैं पात्रता पूरी नहीं कर पाया/पाई हूं। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर _____					

सदस्य

अध्यक्ष

सदस्य

निरस्तता पर्ची (अभ्यर्थी की प्रति)

दिनांक

अनुक्रमांक सं.

अभ्यर्थी का नाम

दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) के पद की भर्ती परीक्षा _____ (वर्ष) के लिए आपकी अभ्यर्थिता निम्नलिखित आधार पर निरस्त की गई है :-

1. बायोमेट्रिक सत्यापन में अयोग्य (फोटो तथा बाएं अंगूठे का निशान मेल नहीं खाता)।
2. जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन हेतु 10वीं/12वीं कक्षा के मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
3. मूल जाति प्रमाणपत्र (अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/आकव) सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर/जारी नहीं किया गया है और अभ्यर्थी के लिए अनारक्षित मानकों पर विचार नहीं किया जा सकता।
4. मूल खेल का प्रमाण पत्र/ पहाड़ी क्षेत्र प्रमाणपत्र/ पुलिस कर्मी का अभिभावकता का प्रमाण-पत्र/ निर्वहन पुस्तक/एनओसी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कोई अन्य विसंगति पाई गई (उल्लेख करें):

टिप्पणी: तथापि आप अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज 05 कार्यदिवस के भीतर अर्थात् _____ तक अपनी अभ्यर्थिता को मेरिट के आधार पर पुनर्विचार हेतु जमा कर सकते हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
अध्यक्ष/ भर्ती बोर्ड

अर्हता पर्ची (अभ्यर्थी की प्रति)

दिनांक

अनुक्रमांक सं.

अभ्यर्थी का नाम

आपने दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) _____ (वर्ष) के पद हेतु शारीरिक क्षमता एवं मानक परीक्षा में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष/ भर्ती बोर्ड

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____

(रैंक) _____ (नाम) _____ (दिनांक) _____ को सशस्त्र सेना में

अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं , अनुक्रमांक

..... परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में पद पर

कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने पहले से ही सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं भूतपूर्व सैनिकों को प्रदत्त आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	01
इंटरमीडिएट/ उच्च माध्यमिक / 10+2	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए.(आनर्स)	06
बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी.)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
बी.लिब	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28

एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एससी. (इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35
